वन विभागीय पुर्नगठन का प्रस्ताव

पृष्ठभूमि

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार के आदेश सं0 2288 दिनांक 09.05.07 द्वारा झारखंड राज्य के वनों की विशेषता एवं झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2002 में ग्राम सभा को प्रदत्त भूमिका के अनुरुप विभागीय संरचना को प्रभावशाली एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से समेकित एवं विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया । राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया कि पंचायती राज अधिनियम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के आलोक में विभाग का कार्यकलाप मूलतः प्रादेशिक प्रमंडलों से ही केन्द्रित होकर संचालित होना चाहिए ।साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि संयुक्त वन प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु कार्यक्षेत्र में ओवर लैपिंग नहीं हो तथा वर्किंग प्लान हेतु परम्परागत ओवर लैपिंग विभागीय संरचना के स्थान पर वैकल्पिक उपाय प्रादेशिक संरचना में निहित किया जाय ।

समिति की पहली बैठक 28/05/07 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची की अध्यक्षता में की गई । विचार विमर्श के उपरांत स्पष्ट हुआ कि निदेशित प्रस्ताव तैयार करने के लिए वर्ष 2000 में तैयार किये गये विभागीय पुनर्गठन के प्रस्ताव को देखना आवश्यक हैं । तदनुसार उक्त प्रस्ताव सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों से प्राप्त की गई । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के पत्रांक 2123 दिन0 27.04.07 द्वारा भी विभागीय इकाईयों के पुर्नगठन हेतु सभी मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्रस्ताव माँगे गए थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची के निर्देशानुसार विभागीय ईकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक को प्राप्त हुआ । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण सह वन्य प्राणी प्रतिपालक द्वारा उक्त सभी प्रस्ताव मूल रुप में समिति को हस्तानांतरित कर दिये गये । कतिपय प्रस्ताव सीधे समिति को भी प्राप्त हुए । प्राप्त प्रस्तावों के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं ।

(1) हजारीबाग क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव में हजारीबाग जिला में हजारीबाग दक्षिणी एवं उत्तरी प्रमंडल प्रस्तावित है ताकि दोनों प्रमंडल का वन क्षेत्र Contiguous हो सके । चतरा में चतरा वनरोपण प्रमंडल को भी प्रादेशिक प्रमंडल में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है । वन संरक्षक हजारीबाग द्वारा भी प्रस्तावित किया गया कि इटखोरी प्रखंड के वन, जो अभी कोडरमा वन प्रमंडल के अधीन है, उसे चतरा स्थित वन प्रमंडल को स्थानांतरित किये जायें । इसी प्रकार कोडरमा वन प्रमंडल अधीन चौपारण प्रखंड का वन क्षेत्र हजारीबाग स्थित वन प्रमंडल को स्थानांतरित किया जाय एवं हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल का टंडवा प्रखंड (चतरा जिला) का

वन चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को स्थानांतरित किया जाय । वर्त्तमान में रामगढ़ वन प्रमंडल में प्रशासनिक ढॉचा अपेक्षाकृत मजबूत करने की आवश्यकता है। बोकारो एव रामगढ़ वन प्रमंडल में वनरक्षी एवं वनपाल की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। गिरिडिह वन प्रमंडल स्थित सतगावॉं को जिले की सीमा के अनुकूल कोडरमा वन प्रमंडल में रखने का प्रस्ताव है । पूर्व में प्रस्तावित रामगढ़ वन प्रमंडल का गठन हो चुका है । परंतु इसे भी जिले के अनुकूल होना अनिवार्य हैं । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1967 दिनांक 14/09/2007 द्वारा पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार सभी प्रादेशिक एवं वनरोपण प्रमंडलों का कार्य क्षेत्र जिला के सीमा के अनुरुप किया गया हैं । रीजन का कार्यक्षेत्र पूरे उत्तरी छोटानागपुर हेतु प्रस्तावित हैं ।

(2) दुमका क्षेत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में से अधिकतर प्रमंडल का गठन किया जा चुका है । यह पुर्नगठन जिला की सीमा पर आधारित है । परंतु गिरीडीह वन प्रमंडल अंतर्गत गिरीडीह जिले का बगोदर प्रक्षेत्र आदि को स्थानान्तरित करना आवश्यक है ताकि गिरीडीह स्थित वन प्रमंडल गिरीडीह जिले की सीमा के अंतर्गत हो । गिरीडीह स्थित वन प्रमंडलो का नाम कार्यक्षेत्र के आधार पर गिरीडीह उत्तरी एवं गिरीडीह दक्षिणी प्रस्तावित है ।

(3) जमशेदपुर से प्राप्त प्रस्ताव में तीन अंचल प्रस्तावित किया गया है । अंचल स्तर पर समन्वय प्रस्तावित है । वर्तमान में दो प्रादेशिक अंचल एवं एक सामाजिक वानिकी अंचल कार्यरत है । जिले के सीमा के अनुसार प्रादेशिक प्रमंडलो के कार्यक्षेत्र में कतिपय फेरबदल की आवश्यकता हैं । सराईकेला खरसॉवा जिला में एक प्रादेशिक वन प्रमंडल वर्तमान में कार्यरत है । वन संरक्षक, दक्षिणी अंचल, चाईबासा द्वारा प्रस्तावित है कि सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा को वन संरक्षक दक्षिणी अंचल, चाईबासा के अधीन रखा जाय ताकि प्रशासनिक एवं वनरोपण कार्यो के अनुश्रवण में सुविधा एवं एकरुपता होवे और जिला स्तर की सभी बैठकों में भी ठीक ढ़ंग से समन्वय हो सके । सिंहभूम वनरोपण प्रमंडल, चाईबासा का मुख्यालय, जमशेदपुर में रखा जाय, चूँकि यह प्रमंडल वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, जमशेदपुर के अधीनस्थ है और वर्त्तमान में इसका कार्य क्षेत्र प्राय: पूर्वी सिंहभूम एवं सराईकेला खरसॉवा जिलों में ही केन्द्रित हैं । ऐसा होने पर यह प्रशासनिक एव अनुश्रवण के दृष्टिकोण से श्रेयस्कर होगा ।

(4) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पलामू क्षेत्र के अंतर्गत कुल तीन अंचल कार्यालय है, जिसमें एक प्रादेशिक अंचल, एक सामाजिक वानिकी अंचल और एक राजकीय व्यापार अंचल है । पुर्नगठन के फलस्वरुप वर्ष 2005 में तीन राजकीय व्यापार प्रमंडल यहॉं से स्थानान्तरित हो गये या बन्द हो गये है । वर्त्तमान में राजकीय व्यापार अंचल के अंतर्गत मात्र एक प्रादेशिक प्रमंडल, लातेहार है। इसके अलावा राजकीय व्यापार प्रमंडल-2, लातेहार कार्यरत है जिसके माध्यम से कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जा रहा है । इस प्रकार इस अंचल के स्तर पर कार्य की कमी है । पलामू क्षेत्र के अंतर्गत कुल आठ वन प्रमंडल

कार्यरत हैं । जिनमें चार प्रादेशिक और तीन वनरोपण/सामाजिक वानिकी प्रमंडल और एक राजकीय व्यापार प्रमंडल लातेहार हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अचंल के अंतर्गत तीन से पॉच प्रमंडल रहने चाहिए । इस परिस्थिति में राजकीय व्यापार अंचल के पुर्नगठन की आवश्यकता हैं । सुझाव है कि राजकीय व्यापार अंचल को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाय शेष दो अंचलों में सात प्रमंडलों का बटवारा भौगोलिक आधार पर किया जा सकता है । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में काई स्थापना नहीं है । इससे कठिनाई होती है ।

लातेहार एवं लोहरदगा वन प्रमंडल के कुछ वन क्षेत्रों का आपस में exchange करने का सुझाव है। ताकि वन प्रमंडलों की सीमा जिला की सीमा के अनुरूप हो जाये।

(5) रॉंची क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव में जिले की सीमा के अुनसार प्रादेशिक वन प्रमंडल के कार्यक्षेत्र का निर्धारण हैं । इसमें खूँटी एवं सिमडेगा में प्रादेशिक वन प्रमंडल गठित कर दिया गया है। परन्तु लोहरदगा, गुमला एवं रॉची जिले में वन क्षेत्र को संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडल में स्थानांतरित करना अपेक्षित है ।

(6) मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन एवं मूल्यांकन, झारखण्ड द्वारा बाताया गया है कि राज्य में बड़ी संख्या में माइक्रोप्लान तैयार करने का काम उपलब्ध स्थापना से उनके द्वारा करने में कठिनाई है । अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु स्थापना को सुढ़ृढ़ करने की आवश्यकता है । पूर्व में प्रस्तावित किया गया है कि माइक्रोप्लान का सृजन संबंधित प्रोदशिक संरचना के द्वारा किया जायेगा परंतु इसका अनुमोदन संबंधित वन कार्य नियोजना पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(7) मुख्य वन संरक्षक-सह-परियोजना निदेशक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना, रॉची द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि इस परियोजना समन्वय इकाई को पुर्नविन्यास करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण एवं वन प्रबंधन इकाई के रुप में परिवर्तित किया जाय ।

(8) मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना एवं शोध, झारखण्ड, रॉंची द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि झारखण्ड राज्य में काष्ठ की कमी हैं और काष्ठ की पूर्ति पड़ोसी राज्यों से की जाती है । यह कमी वर्त्तमान हालात एवं व्यवस्था में अगले-10 वर्षो में भी खत्म नही हो पायेगी । उनका प्रस्ताव है विभाग के सारे बल को वनभूमि में सीमित रखने से काष्ठ के उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव वन रहेगा । गैर वन भूमि विशेषकर रैयती भूमि (जो कृषि योग्य नहीं हैं) पर वृक्षारोपण कार्य को अगले पॉच वर्ष तक करने से भविष्य में काष्ठ की उपलब्धता बढ़ेगी । अतएव वन भूमि एवं गैर वन भूमि हेतु विभाग की संरचना का पुनर्गठन आवश्यक है ।

उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि वनों का प्रबंधन माइक्रोप्लान के आधार पर किया जाय एवं प्रमंडल स्तर पर वर्किंग प्लान को एक Dynamic document के रुप में विकसित करने हेतु व्यवस्था की जाय ।

वन प्रक्षेत्र का रकबा कम किया जाय,एक वन क्षेत्र में एक वन क्षेत्र पदाधिकारी, एक वनपाल एवं एक वनरक्षी का कार्य क्षेत्र होना चाहिए ताकि वन समिति का कार्य सुचारु ढंग से किया जाय ।

प्रमंडल में वन प्रक्षेत्रों की संख्या बढ़ायी जाय एवं एक वन क्षेत्र पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के सभी कार्यो हेतु जिम्मेवार होंगे ।

(9) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास द्वारा फिल्ड के पदाधिकारियों पर lateral नियंत्रण का तरीका निर्धारण करने का प्रस्ताव है । कतिपय वास्तकिताओं के कारण कार्मिक संबंधित कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, के स्तर से ही की जा रही है । इसलिए प्रस्ताव है कि इस पद के वास्तविकता के अनुरुप परिवर्तित करने की आवश्यकता है ।

(10) मुख्य वन संरक्षक, सह-मुख्य समन्वयक विश्व खाद्य कार्यक्रम, द्वारा प्रस्तावति किया गया है कि उनके द्वारा निर्धारित पदों को मुख्य समन्वयक, नरेगा के रुप में परिवर्तित किया जाय। इस कार्य हेतु एक वन संरक्षक एवं चार वन प्रमंडल पदाधिकारी की स्थापना का प्रस्ताव है । वन संरक्षक का पद वर्त्तमान में वन संरक्षक, शोध अंचल से प्राप्त करने का सुझाव है जबकि वन प्रमंडल पदाधिकारी का पद पूर्व में इस संरचना के साथ विद्यमान है ।

(11) वन संरक्षक, शोध अंचल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों में वन संरक्षक के स्तर पर Acute Stagnation है । वर्त्तमान व्यवस्था में 1985-1986 बैच के पदाधिकारियों को अगले 7-8 वर्ष तक वन संरक्षक के पद ही रहना पड़ेगा जबकि 1988 बैच के पदाधिकारी मुख्य वन संरक्षक के पद पर बिहार में प्रोन्नत हो गये हैं । झारखण्ड के अन्य अखिल भारतीय सेवा में भी यही स्थिति हैं ।

(12) वन क्षेत्र पदाधिकारी संघ, झारखण्ड नें प्रस्ताव किया है कि वन परिसर का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय वन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुर्ननिर्धारित की जाय । यह कार्य विगत कई दशकों के बदलते परिवेश के आलोक में किया जाना चाहिए । वानिकी के विभिन्न आयाम यथा वन संवर्द्धन एवं संरक्षण, प्रसार वानिकी, एवं वन्य प्राणी प्रबंधन आदि हेतु विशेषज्ञ प्रभाग के माध्यम से कार्य करने की आवश्यकता है ।

वन क्षेत्र पदाधिकारी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के समकक्ष एवं एक वन क्षेत्र में सभी प्रकार के विभागीय कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव है । यह भी प्रस्तावित है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी को कार्यालय हेतु एक लिपिक एवं एक आदेशपाल की व्यवस्था की जाय ।

वनरक्षी हेतु सबबीट का रकवा 8-10 वर्ग कि.मी., वनपाल हेतु बीट का रकवा 20-30 वर्ग कि.मी., एवं एक क्षेत्र पदाधिकारी हेतु प्रखण्ड, कार्य क्षेत्र के रुप में निर्धारित करने का प्रस्ताव है ।

(13) वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन, झारखण्ड द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सभी समाजिक वन प्रमंडलों को वनभूमि से बाहर कार्य करने की जिम्मेवारी दी जाय । प्रत्येक जिला हेतु एक समाजिक वन प्रमंडल को सामाजिक वानिकी एवं गैर वन बंजर भुमि पर विकास कार्य की जिम्मेवारी दी जाय । इससे संयुक्त वन प्रबंधन के तहत गठित वन समितियों को प्रादेशिक वन प्रमंडल के संरचना के साथ कार्य करने की व्यवस्था मिलेगी । झारखण्ड राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वन का प्रतिशत 28.5 प्रतिशत है । वन एवं वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 34.78 प्रतिशत है । राज्य के 25.54 प्रतिशत भाग कृषि के तहत् उपयोग में लाये जा रहे हैं । बंजर भूमि, रिहायसी इलाके, खदान क्षेत्र और जलक्षेत्र को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक भूभाग ऐसे टांड भूमि के रुप है, जो अभी उत्पादन चक्र में शामिल नहीं हैं । यह भूभाग झारखण्ड की जलवायु के अनुसार वृक्षों की खेती यानि प्रक्षेत्र वानिकी हेतु काफी उपयोगी है । अतः पूरे राज्य में सामाजिक वानिकी की संरचना के माध्यम से इस भूभाग को उत्पादन चक्र में लाकर राज्य में काष्ठ आधारित कमी को पूरा किया जाय एवं भविष्य में काष्ठ आधारित लघु उद्योग की स्थापित करने हेतु परिवेश तैयार किया जाय ।

उपरोक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर भी गौर किया गया । समिति के समक्ष वन प्रमंडल पदाधिकारी कोडरमा एवं लोहरदगा द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया । उन्होंने हरेक जिला में एक प्रादेशिक एवं एवं समाजिक वानिकी प्रमंडल रखने का प्रस्ताव रखा ।

(14) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची के पत्रांक 4967 दिनांक 10/10/2007 द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम झारखंड, राँची, विश्व बैंक परियोजना इकाई झारखंड, राँची एवं वन्य प्राणी प्रभाग से संबंधित विभागीय पुर्नसंरचना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं ।

सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा सरकार के आदेश में निहित निर्देश एवं उपरोक्त प्रस्तावों के आलोक में विभाग के पुर्नगठन हेतु निम्न आधारभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किए जा रहे हैं :-

वन विभाग के पुर्नगठन हेतु आधारभूत सिद्धांतों का विवरण

(1) **ओवरलैपिंग प्रकृति का समाप्त किया जाना :-**

वन विभाग की वर्त्तमान संरचना मूलतः ओवरलैपिंग प्रकृति की है । वर्त्तमान व्यवस्था के तहत् राज्य के वनों के प्रबधन हेतु प्रादेशिक, सामाजिक वानिकी तथा वनरोपण प्रभाग कार्यरत हैं । इस प्रकार की ओवरलैपिंग व्यवस्था से वनों के उचित प्रबंधन/ अनुश्रवण / उत्तरदायित्व निर्धारण / योजना का सूत्रण / कार्यान्वियन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । अतः विभागीय पुर्नगठन हेतु ओवरलैपिंग प्रकृति का समाप्त किया जाना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया जाना अनुकूल होगा।

(2) **वन भूमि के प्रबंधन हेतु कार्यकारी तथा पर्यवेक्षीय स्तरों पर एक ही एजेंसी का कार्यरत होना :-**

राज्य के वनभूमि का समेकित प्रबंधन विभाग के प्रादेशिक प्रभाग, कार्यकारी तथा पर्यवेक्षीय दोनों स्तरों पर, द्वारा ही किया जाना सर्वथा उपयुक्त होगा । तात्पर्य यह है कि वनभूमि में किसी भी प्रकार का management intervention केवल प्रादेशिक प्रभागों द्वारा ही किया जाय, चाहे यह संरक्षण के उद्येश्य से हो अथवा विदोहन के दृष्टिकोण से । झारखण्ड राज्य पंचायत अधिनियम, 2002 में निहित प्रावधानों का अनुपालन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण, रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005 के तहत् योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं एवं भिन्न केन्द्र संपोषित योजनाओं के सूत्रण तथा सफल कार्यान्वियन हेतु भी यह आवश्यक है कि एक एजेंसी यथा प्रादेशिक वन प्रमण्डलों को ही वन भूमि के संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास का संपूर्ण उत्तरदायित्व सौपा जाय । संयुक्त वन प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी ऐसा किया जाना वर्त्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक है ।

(3) **प्रमण्डलों की सीमा राजस्व जिले की सीमा से co-terminus किया जाना:-**

चुँकि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण इकाई जिला है तथा राज्य स्तर पर प्रायः सभी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जिला को इकाई मानते हुए किया जाता है, अतः पंचायती राज्य अधिनियम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी अधिनियम के आलोक में वन प्रमण्डलों को राजस्व जिला इकाई से co-terminus किया जाना हर दृष्टिकोण से उचित होगा । इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि वनभूमि के उचित प्रबंधन एवं संरक्षण तथा वन विकास की अन्य योजनाओं के सफल कार्यान्वियन हेतु भी जिला स्तर पर कार्यरत अन्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित करना अत्यावश्यक है । झारखण्ड सरकार द्वारा भी नवसृजित प्रमण्डलों यथा गोड्डा, पाकुड़, सरायकेला- खरसाँवा के मामले में भी इस सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई है । इसी संदर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राज्य के कतिपय जिलों में वनभूमि की अत्यधिकता के आलोक में परंपरागत वन प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुकूल एक जिले में ही एक से ज्यादा वन प्रमण्डल कार्यरत होना

वनहित में होगा । अर्थात्, वन बाहुल्य जिलों में पूर्व से स्थापित एक से अधिक वन प्रमण्डलों को यथावत् रखा जाना तकनीकी तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित होगा । ऐसा किए जाने से पुराने अभिलेखों के हस्तांतरण आदि जैसी समस्याओं से भी निपटने में अपेक्षाकृत कम कठिनाईयाँ आएँगी ।

(4) **<u>वनो के गहन प्रबंधन हेतु प्रक्षेत्रों का कार्यक्षेत्र कम किया जाना :-</u>**

वर्त्तमान में एक वन क्षेत्र पदाधिकारी के अधीन औसतन 200 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है, जो प्रभावी प्रबंधन के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है । इस संदर्भ में प्रमण्डलों को और छोटा करने के स्थान पर वन प्रक्षेत्रों को छोटा किया जाना intensive management के परिप्रेक्ष्य में श्रेयस्कर होगा । इसके अतिरिक्त संयुक्त वन प्रबंधन के उदेश्यों की पूर्त्ति हेतु भी छोटे वन प्रक्षेत्र प्रभावकारी सिद्ध होंगे । प्रत्येक प्रादेशिक वन प्रक्षेत्र में औसतन 75-125 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र तथा 50-100 ग्रामों के होने से स्थिति में सुधार की संभावना प्रबल होगी । निर्धारित गग्रमो की संख्या का bracket अपेक्षाकृत बड़ा होने का कारण यह है कि कतिपय ग्रामो में वनों का रकबा काफी कम है ।

(5) **<u>वन प्रक्षेत्रों की सीमा प्रखण्डों की सीमा से co-terminus किया जानाः-</u>**

पंचायती राज व्यवस्था एवं नरेगा योजना के आलोक में जिला प्रशासन से बेहतर समन्वय तथा जिला स्तर पर विकास की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका अदा करने के दृष्टिकोण से प्रादेशिक प्रक्षेत्रों की सीमा यथासंभव प्रखण्डों की सीमा से co-terminus किया जाना उपयुक्त होगा । जिन प्रखण्डों में वन क्षेत्र 75-100 वर्ग कि.मी. से अधिक है उनमें एक से अधिक वन प्रक्षेत्र रखे जा सकते है । इस प्रकार प्रादेशिक वन प्रक्षेत्र की संख्या निर्धारण हेतु तीन बिन्दुओं यथा प्रखण्ड की सीमा, वन क्षेत्र का रकबा, तथा निहित ग्रामों की संख्या पर विशेष बल देना उचित होगा ।

(6) **<u>वनपालों तथा वनरक्षियों की संख्या का निर्धारण :-</u>**

संयुक्त वन प्रबंधन के क्रियान्वयन में वनपालों की विशेष भूमिका अर्तनिहित है । वन समितियों की बैठकों में वनपाल, कार्यकारिणी के सचिव की हैसियत से भाग लेते हैं । झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प के तहत् कार्यकारिणी की बैठक माह में कम से कम एक बार आहूत किया जाना अपेक्षित है । वनभूमि के संरक्षण एवं विकास में वनपाल की अहम् भूमिका के दृष्टिकोण से एक वनपाल के अधीन वन क्षेत्र के निर्धारण में निम्न मापदंड अपनाया जाना उचित होगा :-

(क) यदि वन क्षेत्र प्रति ग्राम <1.0 वर्ग कि.मी., एक वनपाल के अधीन 15 ग्राम निहित हों ।

(ख) यदि वन क्षेत्र प्रति ग्राम = 1-3 वर्ग कि.मी., एक वनपाल के अधीन 10 ग्राम निहित हों ।

(ग) यदि वन क्षेत्र प्रति ग्राम > 3 वर्ग कि.मी., एक वनपाल के अधीन 5-6 ग्राम निहित हों ।

वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु परिसर को सबसे छोटी इकाई के रूप में स्थापित किया जाना वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित होगा। निर्धारित वनरक्षियों की संख्या में से कम से कम एक वनरक्षी वनपाल के साथ संलग्न होंगे तथा शेष विशेष वनरक्षी के रूप में विविध कार्यो यथा नाका वनरक्षी, रेंज लिपिक इत्यादि के रूप में कार्यरत होंगे।

(7) **गैर वनभूमि के विकास हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग की स्थापना :-**

झारखण्ड राज्य के भौगलिक क्षेत्रफल का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा अधिसूचित वनभूमि है । इस प्रकार राज्य का एक बड़ा भू-भाग अर्थात् करीब 70 प्रतिशत भूमि का प्रभावी प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण विषय है । इस भू-भाग से कृषि योग्य भूमि को छोड़कर उपलब्ध बंजर भूमि पर वनीकरण, हरित पट्टी का विकास, भिन्न संस्थानों की भूमि पर वृक्षारोपण, रैयती भूमि पर वृक्षारोपण, रैखिक वृक्षारोपण इत्यादि उद्येश्यों की पूर्त्ति हेतु विभाग में एक सशक्त सामाजिक वानिकी प्रभाग के सृजन की आवश्यकता महसूस की जा रही है । इस initiative से पर्यावरणीय उद्येश्य की प्राप्ति के अतिरिक्त ग्रामीणों के वैकल्पिक आय के श्रोतों का सृजन, काष्ठ तथा अन्य वन उत्पाद की उपलब्धता तथा प्राकृतिक वनों पर अत्यधिक दबाव को कम किया जाना संभव हो सकेगा । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य में दूसरे राज्यों से काष्ठ आयातित किए जा रहे हैं तथा मात्र जलावन के निष्कासन से ही राज्य के प्राकृतिक वन दिनोदिन अतिअवकृष्ट होते जा रहे हैं । अत: गैर वनभूमि पर शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों तथा अन्य प्रजातियों के पौधें का रोपण ही एकमात्र विकल्प बच गया है । यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राज्य का एक बड़ा भू-भाग, जो पूर्व में वृक्षों से आच्छादित था, अब वृक्षविहीन हो गया है । इस भूमि पर कृषि कार्य भी नहीं किया जा सकता । अत: इस प्रकार की गैर वनभूमि को सघन वन विकास योजना के तहत् पुन: उत्पादन-चक्र में शामिल किया जाना संभंव हो सकेगा ।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में राज्य के सभी जिलों में एक-एक सामाजिक वानिकी प्रमण्डल स्थापित करना उचित होगा । वर्त्तमान में उपलब्ध वन प्रमण्डलों को मात्र relocate कर ही उक्त सामाजिक वानिकी प्रमण्डल गठित किए जा सकते हैं । पदों के नामकरण में अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं उत्पन्न हो, अत: जिला स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर के पदों का नामकरण ''निदेशक, सामाजिक वानिकी'' किया जाना उचित होगा ।

(8) **वन्यप्राणी प्रमाग की स्थापना का सुदृढ़ीकरण:-**

झारखण्ड राज्य में व्याघ्र परियोजना के अतिरिक्त कुल 9 वन्यप्राणी आश्रयणी अवस्थित हैं। यद्यपि वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान तथा आश्रयणियों के प्रबंधन हेतु विभागीय संरचना उपलब्ध है, तथापि विशेषकर आश्रयणियों के संदर्भ में उक्त संरचना के सुदृढ़ीकरण की

आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, हजारीबाग वन्य प्राणी प्रमंडल के अधीन पारसनाथ, कोडरमा गौतम बुद्ध, तोपचांची तथा उधवा स्थित आश्रयणियों के प्रभावकारी प्रबंधन में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस उद्येश्य से आश्रयणियों के निमित्त वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर के उपलब्ध पदों का पुनर्गठन कर पांच पद (हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह तथा कोडरमा) सृजित किया जाना उपेक्षित होगा ताकि सभी आश्रयणियों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

(9) **कार्य नियोजना प्रभाग की स्थापना का सुदृढ़ीकरण :-**

विभाग में पूर्व से कार्यरत कार्य नियोजना प्रभाग प्रभावी रूप से कार्यरत नही होने की स्थिति में प्राकृतिक वनों का समुचित प्रबंधन नही हो पा रहा है। फलत: वनो का विदोहन नहीं हो पा रहा है जिससे एक ओर तो ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है वहीं दूसरी ओर वनों की उत्पादकता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु कार्य नियोजना प्रभाग को प्रादेशिक प्रभाग के साथ रखा जाना उपयुक्त होगा। वन संरक्षक, कार्य नियोजना की स्थापना को मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक प्रभाग के अधीन रखा जाना उचित होगा ताकि उपलब्ध मानव संसाधन का अनुकूलतम तरीके से इस्तमाल किया जा सके तथा उत्तरदायित्व बोध में भी उत्तरोतर वृद्धि हो सके।

(10) **पर्यवेक्षीय उद्येश्यों हेतु वर्तमान में कार्यरत स्तरो में कमी लाना :-**

वर्तमान प्रशासनिक ढ़ांचे में वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर के उपर तीन कड़ियाँ यथा, वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यरत है। यह व्यवस्था अब तक प्राप्त अनुभवों के आधार पर कारगर नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण पर्यवेक्षीय स्तर पर दो कड़ी, यथा वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, का कार्यरत होना है। फलस्वरूप वन प्रमंडल पदाधिकारी का आवश्यकता से अधिक समय बैठकों इत्यादि में व्यतित हो रहा है। साथ ही प्रतिवेदनों के compilation, रूटीन कार्यो का त्वरित निष्पादन तथा कार्यो के आंतरिक अनुश्रवण में विभिन्न प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न हो रही है। पर्यवेक्षीय स्तर पर कार्यरत स्तरो में कमी लाकर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता हैं। इन परिस्थितियों में अंचल स्तर पर ही मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण प्रभावकारी एवं कारगर होगा।

(11) **प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय का सुदृढीकरण :-**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय राज्य स्तर का है। इस कार्यालय द्वारा विशेषकर नीति निर्धारण, भिन्न संभागो में समन्वय तथा प्रशासनिक नियंत्रण अपेक्षित है। अब तक प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि विगत 10 वर्षो में एवं विशेषकर झारखण्ड राज्य के सृजन के उपरांत कार्यभार में अत्याधिक वृद्धि हुई है । वर्त्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में मात्र वन संरक्षक (मुख्यालय) का पद सृजित है । स्पष्टत: कार्यो की अत्यधिकता के आलोक में वर्त्तमान व्यवस्था यथेष्ट नही है । अत: इस कार्यालय का सुदृढ़ीकरण आवश्यक हैं।

(12) **विभाग के सभी स्तरों पर प्रोन्नति के अवसर में वृद्धि लानाः-**

अवर वन सेवा संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर अत्यन्त ही क्षीण हैं। उदाहरणार्थ वनरक्षी के स्तर पर 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर भी वनपाल के स्तर पर उनकी प्रोन्नति नहीं हो पा रही है । यही स्थिति वनपाल से वन क्षेत्र पदाधिकारी स्तर पर प्रोन्नति के मामले में भी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वनरक्षियों एवं वनपालों को ए.सी.पी. योजना के तहत् 12 तथा 24 वर्ष सेवा होने की स्थिति में वेतन का लाभ दिया जा रहा है । अतः उपलब्ध वनरक्षी के पदों में से कुछ पदों को उत्क्रमित कर वनपाल के पद सृजित किए जा सकते हैं। इस उत्क्रमण से सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति भारतीय वन सेवा संबर्ग में भी है । इस संवर्ग में वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक स्तरों पर प्रोन्नति के अवसर अवरूद्ध हो गए हैं । भारत सरकार द्वारा मुख्य वन संरक्षक स्तर पर प्रोन्नति हेतु 18 वर्ष की सेवा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर पर प्रोन्नति हेतु 25 वर्ष की सेवा निर्धारित की गई है । झारखण्ड संवर्ग में 1984 से 1989 बैच तक के पदाधिकारियों, जिन्होंने क्रमशः 24 से 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति अब तक मुख्य वन संरक्षक के पद पर नहीं हो पाई है। इसी प्रकार 1978 से 1982 बैच तक के पदाधिकारियों, जिन्होंने क्रमशः 29 से 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति अब तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर नहीं हो पाई है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1987 बैच तक के पदाधिकारी मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान के न्यूनतम बेसिक वेतन अथवा इससे उपर का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वन संरक्षक से मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर में पदों के उत्क्रमण से सरकार पर कोई विशेष वित्तीय भार नहीं पड़ेगा । इन परिस्थितियों में वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक के कतिपय संवर्गीय पदों को abeyance में रख कर अथवा उत्क्रमण कर क्रमशः मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पदों के रूप में पुर्नगठित करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त होगा ।

उपर्युक्त वर्णित आधारभूत सिद्धांतों तथा भिन्न स्तरों से प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में विभागीय पुर्नगठन का प्रस्ताव निम्नवत है :–

- सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1877 दिनांक 16/03/2005 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची के दायित्व एवं कर्त्तव्य निम्नवत निर्धारित हैं :-

(i) वन एवं पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष तथा इस विभाग से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार के सलाहकार होंगे । इनका मुख्यालय राँची में यथावत रहेगा ।

(ii) विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित मामले जिनपर राज्य सरकार का निर्णय या आदेश वांछित होगा, इनके माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे ।

(iii) वन एवं पर्यावरण विभाग के अन्य सभी कार्यालय (राज्य सरकार का सचिवालय छोड़कर) इनके अधीन होंगे ।

(iv) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, कार्यालय में स्थित वन संरक्षक, मुख्यालय का स्थापना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड की स्टाफ स्थापना होगी जिनके अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, निदेशन एवं प्रशासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय की वर्त्तमान स्थापना यथावत रुप में कार्यरत् रहेगी ।

नोट:- (अ) विभाग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की इस सूची में जो विषय अंकित नहीं है, वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची के अधीन होंगे ।

(ब) विभाग की नीतिगत विषयों पर सभी अधीनस्थ कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची के परामर्श से कार्य करेंगे ।

उक्त संकल्प संख्या 1877 दिनांक 16/03/2005 के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक तथा मानव संसाधन विकास, झारखंड, राँची को सौंपे गये दायित्त्वों का विवरण निम्नवत है :-

(i) विभाग में गैर योजना बजट का सूत्रण, सरकार को प्रेषण तथा वहाँ से आवंटन प्राप्त करना एवं सभी कार्यालय को उप आवंटन करना इनका दायित्व होगा ।

(ii) विभाग में स्थापना से संबंधित वैयक्तिक मामलों, अनुशासन, अपील एवं वाद संबंधी विषयों का निपटारा करेंगे एवं कार्मिक/स्थापना संबंधी सभी रिट याचिकाओं /न्यायादेशों के अनुपालन कराने के लिए जिम्मेवार होंगे । इस कार्य में अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित विषयों का निपटारा इनके

स्तर से अंतिम रुप से किया जायेगा तथा इस कार्य के लिए इनकी शक्तियाँ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखड के समकक्ष होगी । राजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों या उनके समकक्ष पदाधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित विषयों का निपटारा वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड का अनुमोदन प्राप्त करके करेंगे ।

(iii) विभाग के सभी संवर्गो का संवर्ग-प्रबंधन इनके द्वारा किया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त कार्यो का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड की अधीनस्थ कार्यालय स्थापना की सहायता से किया जायेगा । साथ में इनके नियंत्रण में वह अतिरिक्त अधीनस्थ कार्यालय स्थापना कार्यरत् होगी जो इस अधिसूचना के अनुलग्नक-1 में विहित हैं ।

उपर्युक्त वर्णित कार्यो के अतिरिक्त विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य भी इन्हें सौंपा गया था ।

प्रशिक्षण संबंधी कार्य इनके अधीन सुचारु रुप से चलता रहा । स्थापना संबंधी विषयों पर इनकी शक्तियाँ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के समकक्ष किये जाने के बाद यह व्यवस्था की गयी थी कि इन कार्यो का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड की अधिनस्थ कार्यालय स्थापना की सहायता से करेंगे । ऐसी व्यवस्था में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का स्वतंत्र रुप में कार्य करना संभव नहीं है क्योंकि कार्य क्षेत्र ओवरलैपिंग प्रकृत्ति का हैं । गैर योजना बजट संबंधी कार्य सरकार के आदेश द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड को वापस सौंप दिया गया है ।

ऐसी परिस्थिति में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्मिक के पास पर्याप्त कार्य नहीं रह गया हैं । समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत इन कर्त्तव्यों का पुनर्गठन अपेक्षित समझा गया।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड के निम्न तीन महत्त्वपूर्ण पदेन दायित्व हैं :-

(i) नोडल पदाधिकारी, एफ0सी0एक्ट

(ii) CAMPA संबंधी कार्य

(iii) FDA का नोडल पदाधिकारी

इसके अतिरिक्त सरकार के संकल्प संख्या 1877 दिनांक 16/03/2005 के द्वारा निम्न दो स्थापनाओं को कार्यकारी निदेशक के अधीन कार्यरत् किया गया है :-

(क) मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य समन्वय, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राँची

(ख) मुख्य वन संरक्षक, विश्व बैंक झारखंड, राँची ।

- वर्त्तमान में नोडल ऑफिसर, वन संरक्षण अधिनियम का दायित्त्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा निभाया जाता है। इस व्यवस्था के तहत् वन भूमि अपयोजना के प्रस्तावों को कार्यकारी निदेशक द्वारा जांच कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के माध्यम से सरकार को प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार समान कार्य, समान स्तर के पदाधिकारियों द्वारा दोहराया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत् मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। अतएव कार्यो की अत्यधिकता एवं विशिष्टता के आलोक में समिति की अनुशंसा होगी कि नोडल पदाधिकारी, एफ0सी0एक्ट का दायित्त्व एक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी को सौंपा जाय। इस निमित्त वर्त्तमान में कार्यरत् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास को **''अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षण अधिनियम''** के रूप में पुर्ननामित किया जा सकता है। उक्त पद का दायित्व वन संरक्षण अधिनियम के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करना प्रस्तावित है। प्रादेशिक प्रभाग के सभी मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षण अधिनियम के तहत् प्राप्त प्रस्तावों को सीधे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षण अधिनियम को प्रेषित करेंगे। वन संरक्षण अधिनियम संबंधी मामलों के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षण अधिनियम सभी प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। इस प्रकार वर्त्तमान श्रृंखला में एक कड़ी कम किया जा सकेगा तथा कार्यो के निष्पादन में शीघ्रता लाई जा सकेगी।

- वर्त्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड को नोडल पदाधिकारी, वन विकास अभिकरण घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूरे राज्य में वन विकास अभिकरणों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु वृहत् पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। सभी प्रादेशिक वन प्रमंडलों तथा वन्यप्राणी प्रमंडलों में कार्यरत वन विकास अभिकरणों की योजनओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है। समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि उक्त अभिकरणों द्वारा संपादित कार्यो के अनुश्रवण तथा भारत सरकार से समन्वय स्थापित करने हेतु एक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर का पद विभाग में होना आवश्यक है, जो नोडल पदाधिकारी, एफ0 डी0 ए0 के तौर पर कार्य करेंगे। एफ0 डी0 ए0 के मामलों के लिए प्रादेशिक प्रभाग के सभी मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्री पदाधिकारी उक्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक होंगे। चूंकि वन विकास अभिकरण मूलत: जे0 एफ0 एम0 के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, अत: उक्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का यह विशेष दायित्त्व रहेगा कि वे जे0 एफ0 एम0 के सुदृढ़ीकरण हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्र संपोषित योजनाओं (नई) तथा संभावित बाह्य संपोषित योजनाओं के तहत् राज्य के पक्ष में तत्संबंधी योजनाओं का सूत्रण तथा केन्द्र सरकार को समर्पण इत्यादि विषयों पर

भारत सरकार से समन्वय स्थापित करना भी इनका दायित्व होगा। समिति की अनुशंसा है कि उपर्युक्त वर्णित कार्यो के उचित कार्यान्वयन हेतु **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट्स** का पद स्वीकृत किया जाय जो वर्त्तमान में कार्यरत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना शोध, संयुक्त वन प्रबंधन एवं अनुश्रवण को संपरिवर्त्तित कर प्राप्त किया जा सकता है।

- सरकारी संकल्प संख्या 1877 दिनांक 16/03/2005 के द्वारा CAMPA संबंधी दायित्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, अनुसंधान, जे0एफ0एम0 तथा अनुश्रवण के जिम्में सौंपा गया था । संकल्प में अंकित इनके दायित्व की कंडिका IV निम्न रुप में उद्धृत हैं।

  कंडिका IV :- राज्य में खनिज कार्यो हेतु वन भूमि अपयोजना (Diversion) से संबंधित कैम्पा निधि का उपयोग तथा उससे संबंधित योजनाओं का कार्यान्वियन उनके नियंत्रण में होगा । इस निधि से संबंधित योजनाओं का सूत्रण, भारत सरकार को प्रेषण तथा स्वीकृत्यादेश प्राप्त करना इनका दायित्व होगा ।

  उक्त कार्य की महत्ता को देखते हुए इस के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर के पदाधिकारी की आवश्यकता है क्योंकि फिल्ड के सभी प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षकों के माध्यम से भूमि अपयोजना के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं । अतः इन कार्यो पर नियंत्रण मुख्य वन संरक्षक से एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी को सौंपना यथोचित होगा ।

  समिति की अनुशंसा है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, अनुसंधान, जे0एफ0एम0 तथा अनुश्रवण के अधीन अनेकों दायित्व के अलावे CAMPA संबंधी दायित्व भी सौंपे गये है जिसे किसी अन्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक हैं ।

  मुख्य वन संरक्षक, विश्व बैंक, झारखंड, राँची के पास वर्त्तमान में कोई कार्य नहीं है क्योंकि झारखंड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहयोग की परिकल्पना की गई थी परंतु वे प्राप्त नहीं हुए। अतः मुख्य वन संरक्षक, विश्व बैंक, झारखंड के पद को उपयोग करने के लिए इस पद को उत्क्रमित करते हुए **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक**, **क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन, झारखंड** का पद सृजित करने का प्रस्ताव हैं जिन्हें 'क्षतिपूरक वनरापेण प्रबंधन' का उपर्युक्त दायित्व सौंपा जा सकता है।

- प्रयोक्ता संस्थान को वन भूमि अपयोजन मे आवश्यक शर्त्त यथा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने में आ रही दिक्कतों के चलते वन भूमि अपयोजन के महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जो राज्य के विकास के लिये जरुरी है, लंबित रह जाते हैं । इस विषय पर मुख्य सचिव, झारखंड सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि वन विभाग अंतर्गत ही लैंड बैंक सृजन के लिए एक प्रभाग का गठन किया जाय।

उक्त निर्देश के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरखक के पद स्तर में एक पद का सृजन करने पर समिति में आम सहमति हुई ।

मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिनके अधीन मजदूरी के आंशिक भाग के बदले खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य चाईबासा एवं राँची जिले में चल रहा है, वह इस वर्ष बन्द होना हैं । अतः मुख्य वन संरक्षक के इस पद को उत्क्रमित करते हुए **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भूमि बैंक प्रबंधन, झारखंड** के सृजन करने का प्रस्ताव हैं । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लैंड बैंक प्रबंधन के मुख्य दायित्त्व निम्न प्रकार होंगे :-

(i) राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर ऐसे भूमि की सूची प्राप्त करना जो 'लैंड बैंक' हेतु अधिसूचित किये जा सकते हैं । लैंड बैंक हेतु नियम एवं तरीका निजात करना ।

(ii) ऐसे भूमि की स्थलीय जाँच कर यह देखना कि यह वनरोपण योग्य हैं ।

(iii) ऐसे भूमि का राजस्व अभिलेख एवं वन अभिलेख से मिलान कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना ।

(iv) ऐसे भूमि का क्षतिपूर्त्ति/मुआवजा देकर उसका दाखिल खारिज वन विभाग के पक्ष में करवाने के लिए रैयती के मामले में अधिग्रहण/खरीद की कार्रवाई/गैर मजरुआ के मामले में non-incumberance certificate प्राप्त करने के उपरांत करना । क्षतिपूर्त्ति/मुआवजा हेतु योजना मद में इनके लिए बजटीय प्रावधान किया जायेगा ।

(v) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सह नोडल आफिसर एफ0सी0एक्ट से समन्वय स्थापित कर वन भूमि अपयोजन के ऐसे प्रस्तावों जिनमें क्षतिपूरक वनरोपण हेतू गैर वन भूमि की शर्त्ते पूरी नहीं हो रही है, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राशि वसूल कर गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपने के लिए प्रदान करना । प्राप्त राशि को राजस्व के उचित मद मे चालान द्वारा कोषागार में जमा करवाना ।

(vi) उक्त कार्रवाई के उपरांत समतुल्य गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि में अधिसूचित करवाने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजना ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लैंड बैंक प्रबंधन के कार्यो में सहयोग के लिए राँची, पलामू, हजारीबाग, चाईबासा और दुमका मे पाँच निदेशक, लैंड बैंक प्रबंधन के गठन का प्रस्ताव हैं । प्रस्ताव है कि वर्त्तमान में कार्यरत् चार विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडलों यथा हजारीबाग, पलामू, चाईबासा और दुमका क्रमशः निदेशक, लैंड बैंक प्रबंधन, हजारीबाग, पलामू, चाईबासा एवं दुमका के रूप में एवं हजारीबाग राजकीय व्यापार प्रमंडल-II को relocate करते हुए निदेशक, लैंड बैंक प्रबंधन, रांची का गठन प्रस्तावित है। ये पांचों स्थापना स्थानीय स्तर पर प्रस्तावित भूमि के स्थलीय निरीक्षण, वन

अभिलेख एवं राजस्व अभिलेख का मिलान, वन विभाग के पक्ष में ऐसी भूमि के अधिग्रहण/हस्तांतरण करने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत भूमि का मुआवजा/मूल्य देकर राजस्व विभाग से भूमि का non-incumberance certificate प्राप्त करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लैंड बैंक प्रबंधन को प्रस्तावित भूमि से संबंधित सभी अभिलेख मूल रूप में समर्पित करेंगे।

भूमि अभिलेखों का संधारण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर किया जाएगा। प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना का प्रारूप भी निदेशक, लैंड बैंक प्रबंधन अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगे।

- वनों से संबंधी शोध, प्रसार एवं प्रशिक्षण हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर का पद विभाग में होने की आवश्यकता समिति द्वारा महसूस की जा रही है। वर्त्तमान में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, शोध, संयुक्त वन प्रबंधन तथा अनुश्रवण द्वारा दो अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण विषयों यथा कार्य नियोजना एवं शोध की जिम्मेवारी एक साथ निभाना कठिन प्रतीत हो रहा है। साथ ही कार्य नियोजना की जिम्मेवारी प्रादेशिक प्रभागों को सौंपना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत हो रहा है। अतः **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शोध एवं प्रसार** का पद प्रस्तावित की जा रही है। इस पद का सृजन मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना एवं शोध के पद को उत्क्रमित कर सृजित की जा सकती हे। पुर्नगठित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शोध एवं प्रसार के अधीन वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, वन संरक्षक, वृक्षारोपण शोध एवं मूल्यांकन, वन संरक्षक, प्रशिक्षण (पुर्नगठित), वन संरक्षक, प्रचार (पुर्नगठित) तथा वन संरक्षक, वन साधन सर्वेक्षण एवं एम0आई0एस0 कार्यरत होंगे। पुर्नगठित वन संरक्षक, प्रशिक्षण के अधीन तीन प्रशिक्षण विद्यालय (महिलौंग, हजारीबाग तथा चाईबासा) होंगे। तीनों प्रशिक्षण विद्यालय में एक-सक सहायक वन संरक्षक पदस्थापित रखने का प्रस्ताव है। पुर्नगठित वन संरक्षक, प्रचार वर्त्तमान में कार्यरत वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार को उत्क्रमित कर सृजित करना प्रस्तावित है।

- वर्त्तमान में **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास** का पद स्वीकृत है जिनके अधीन मुख्य वन संरक्षक, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा मुख्य वन संरक्षक, अन्य क्षेत्र स्वीकृत है। उक्त पदों में कोई परिवर्त्तन का प्रस्ताव नहीं है।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के सभी कार्यालय कार्यो में उनके सहयोग के लिए 3 (तीन) मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारियों को कार्यरत् किया जाना प्रस्तावित है, जो क्रमशः (अ) बजट तथा अंकेक्षण, (ब) विधि एवं (स) कार्मिक संबंधी मामलों में संचिकाओं पर सुविचारित मंतव्य अंकित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड को अपेक्षित कार्यवाई के लिए परामर्श देंगे और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत् वन संरक्षक (मुख्यालय) के पद को उत्क्रमित करते हुए मुख्य वन संरक्षक के पद स्तर का एक पद तथा दो क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक यथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग तथा पलामू अर्थात् तीन मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के कार्यालय में कार्यालय कार्य में सहयोग के लिए कार्यरत् करने का प्रस्ताव दिया जाता हैं । तीनों मुख्य वन संरक्षक के कार्य/दायित्व निम्न प्रकार होंगे :-

<u>मुख्य वन संरक्षक, बजट एवं अंकेक्षण :-</u>

(अ) विभाग में गैर योजना बजट का सूत्रण एवं सरकार को भेजने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत करना बजट उपआवंटन का प्रस्ताव तैयार करना । बजट उपआवंटन करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के पास यथावत रहेगा ।

(ब) राजस्व संबंधी प्रतिवेदन, व्यय प्रतिवेदन आदि का संकलन ।

(स) राजस्व एवं व्यय संबंधी अंकेक्षण के निरीक्षण प्रतिवेदन पर उत्तर संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त कर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक की ओर से दिये जाने वाले मंतव्य को तैयार करना ।

(द) संबंधित विषयों पर उच्च पदाधिकारियों, माननीय विधानसभा तथा अन्य समीक्षात्मक बैठकों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुपस्थिति में अथवा उनके निर्देश पर प्रतिनिधित्व करना एवं प्राप्त निर्देशों के अनुपालन के लिए अपेक्षित कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करना ।

(ई) संबंधी विषयों पर आवश्यक परिपत्र तैयार करना ।

<u>मुख्य वन संरक्षक, विधि कोषांग :-</u>

(अ) स्थापना संबंधी विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों द्वारा दायर वादों का अनुश्रवण तथा वाद संबंधी मामलों का निपटारा के लिए तथा न्यायादेशों के अनुपालनार्थ अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अभिलेख प्रस्तुत करना । संबंधित सभी कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन का संकलन ।

(ब) वन एवं वन्य प्राणियों से संबंधित सभी विधायी मामलों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करना ।

(स) विधायी मामलों पर उच्च पदाधिकारियों, माननीय विधानसभा तथा अन्य स्तर पर समीक्षात्मक बैठकों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुपस्थिति में अथवा उनके निर्देश पर प्रतिनिधित्व करना एवं प्राप्त निर्देशों के अनुपालन के लिए अपेक्षित कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करना ।

(द) संबंधी विषयों पर आवश्यक परिपत्र तैयार करना ।

(ह) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सभी मामले का सम्पादन ।

मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक :-

(अ) विभाग के सभी संवर्गो के संवर्ग-प्रबंधन का प्रस्ताव तैयार करना यथा वरीयता सूची का प्रस्ताव आदि ।

(ब) विभाग में स्थापना से संबंधित सभी वैयक्तिक मामलों का निपटारा अथवा अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव तैयार करना ।

(स) संबंधी विषयों पर आवश्यक परिपत्र तैयार करना ।

(ह) स्थापना संबंधी सभी न्यायिक मामलों का अनुश्रवण ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के कार्यालय स्थापना में कार्यरत वन प्रमंडल पदाधिकारी, निदेशन एवं प्रशासन अन्यत्र फिल्ड कार्य में कार्यरत रखने का प्रस्ताव आगे दिया जा रहा है।

- समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के विश्लेषण तथा गहन विमर्शोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि प्रभावी वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से विभाग को निम्न तीन प्रभागों में विभक्त किया जाना उचित होगा :-

  (क) प्रादेशिक प्रभाग

  (ख) सामाजिक वानिकी प्रभाग

  (ग) वन्यप्राणी प्रभाग

प्रादेशिक प्रभाग द्वारा वनभूमि, सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा गैर वन भूमि तथा वन्यप्राणी प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी आश्रयणियों का प्रबंधन किए जाने से ओवरलैपिंग jurisdiction की समस्या का प्रभावी निदान संभव हो सकेगा। इस प्रकार योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन में सहूलियत होगी तथा कार्यो पर प्रभावी नियंत्रण भी संभव होगा। जे0 एफ0 एम0 के सुदृढ़ीकरण के लिए भी ओवरलैपिंग प्रकृति के स्थापनाओं को समाप्त कर विभाग को focussed किया जा सकेगा।

उक्त तीनों प्रभागों की प्रस्तावित विस्तृत व्यवस्था निम्नवत वर्णित है:-

प्रादेशिक प्रभाग

- राज्य के वनभूमि का समेकित प्रबंधन विभाग के प्रादेशिक प्रभाग द्वारा ही किया जाना उचित होगा। वर्त्तमान में झारखंड राज्य में 31 प्रादेशिक वन प्रमंडल हैं जिसमें से गिरीडीह वनरोपण प्रमंडल के पास प्रादेशिक क्षेत्र भी है।

- समिति का सुविचारित प्रस्ताव यह है कि राज्य के प्रादेशिक वन प्रमंडलों की सीमा जिले से co-terminus कर दी जाय। जिन जिलों में वनभूमि अत्यधिक है उन जिलों में वर्त्तमान व्यवस्था के तहत् एक से अधिक कार्यरत वन प्रमंडलों को यथावत् रखा जाय।

- गिरीडीह वनरोपण प्रमंडल के प्रादेशिक क्षेत्र को लेते हुए गिरीडीह जिलान्तर्गत दो प्रादेशिक प्रमंडल यथा गिरीडीह उत्तरी वन प्रमंडल एवं गिरीडीह दक्षिणी वन प्रमंडल के गठन का प्रस्ताव है। हजारीबाग जिले की सीमा में दो प्रमंडल यथा हजारीबाग पूर्वी एवं पश्चिमी कार्यरत हैं। हजारीबाग पश्चिमी के रामगढ़, पतरातू एवं गोला प्रखंड तथा हजारीबाग पूर्वी के मांडू प्रखंड के जंगलों को लेकर रामगढ़ वन प्रमंडल का गठन पूर्व में किया जा चुका हैं । वर्त्तमान में हजारीबाग पश्चिमी के अधीन एक वन क्षेत्र टंडवा भी हैं जो चतरा जिला का हिस्सा हैं । समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया कि हजारीबगा पश्चिमी प्रमंडल का टंडवा प्रक्षेत्र चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को स्थानांतरित किया जाय । हजारीबाग पूर्वी एवं पश्चिमी वन प्रमंडलों के उक्त सभी पुनर्गठन के फलस्वरुप प्रमंडल का स्वरुप प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं पाया गया । ऐसी परिस्थिति में पूर्ण विचारोपरांत हजारीबाग पश्चिमी और पूर्वी वन प्रमंडल के शेष बचे वन क्षेत्रों को पुनर्गठित करते हुए हजारीबाग उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल का गठन प्रस्तावित हैं । वर्त्तमान में चौपारण वन क्षेत्र जो हजारीबाग जिला का हिस्सा है, कोडरमा वन प्रमंडल के अधिकार क्षेत्र में पड़ता हैं । चौपारण वन क्षेत्र को पुनर्गठित हजारीबाग उत्तरी के अधीन कार्यरत् करना प्रस्तावित किया गया । बगोदर का क्षेत्र वर्त्तमान में हजारीबाग पूर्वी के अंतर्गत पड़ता हैं जबकि बगोदर गिरीडीह जिला में पड़ता हैं । इसलिए बगोदर को गिरीडीह दक्षिणी वन प्रमंडल के अधीन कार्यरत् करना प्रस्तावित किया जाता हैं । वर्त्तमान में सतगाँवा क्षेत्र कोडरमा वन प्रमंडल के क्षेत्राधिकार में पड़ता हैं । सतगाँवा क्षेत्र गिरीडीह जिला का हिस्सा है इसलिए सतगाँवा को पुनर्गठित गिरीडीह उत्तरी वन प्रमंडल के अधीन कार्यरत् करना प्रस्तावित किया जाता हैं । इटखोरी का क्षेत्र हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के अंतर्गत पड़ता हैं जबकि इटखोरी चतरा जिला की सीमा में पड़ता हैं । अत: इटखोरी को चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के अधीन कार्यरत् करना प्रस्तावित किया जाता हैं । राँची रिजन अंतर्गत विशुनपुर, घाघरा, नेतरहाट आदि जो गुमला जिला अंतर्गत हैं आंशिक रुप से ही गुमला वन प्रमंडल को पिछले पुनर्गठन में हस्तांतरित किये जा सके हैं । अत: उक्त सभी क्षेत्रों को जो गुमला जिले की सीमा अंतर्गत आते हैं उसे गुमला वन प्रमंडल के अधीन स्थानांतरित करना प्रस्तावित हैं । दुमका रिजन में जिला की सीमा अंतर्गत एक प्रादेशिक प्रमंडल का कार्य

क्षेत्र जिला सीमा के अनुसार ही पूर्व में गठन किया गया हैं अत: यहाँ प्रमंडल के कार्य क्षेत्र परिवर्त्तन प्रस्तावित नहीं हैं ।

- पलामू रिजन अंतर्गत मेदिनीनगर जिला का चैनपुर प्रखंड का क्षेत्र गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल के कार्य क्षेत्र में पड़ता हैं । अत: चैनपुर प्रादेशिक वन क्षेत्र को डाल्टनगंज उत्तरी वन क्षेत्र के अधीन कार्यरत् करना प्रस्तावित हैं ।

- इस प्रकार प्रादेशिक वन प्रमंडलों की वर्त्तमान संख्या यथावत रखा जाना प्रस्तावित है परंतु इनका कार्य क्षेत्र जिलों की सीमा के अनुकूल पुर्नगठित किया जाना उचित होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम, नरेगा तथा संयुक्त वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से जिला को यूनिट मानते हुए प्रमंडलों का पुर्नगठन प्रस्तावित है। वर्त्तमान में एक प्रादेशिक प्रक्षेत्र के अधीन औसतन 200 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। वन क्षेत्रों के intensive management हेतु प्रस्ताव है कि वन प्रक्षेत्रों का भी इस प्रकार पुर्नगठन किया जाय कि प्रबंधन प्रभावकारी हो सके। अतएव प्रस्तावित प्रादेशिक वन प्रक्षेत्रों की संख्या के निर्धारण हेतु समिति द्वारा तीन बिन्दुओं यथा प्रखंड की सीमा, वन क्षेत्र का रकबा (प्रति प्रक्षेत्र करीब 75-100 वर्ग कि.मी.) तथा ग्रामों की संख्या (प्रति प्रक्षेत्र करीब 50-100) पर विचार किया गया है। तदनुसार स्थापनावार वन क्षेत्र पदाधिकारियों, वनपालों तथा वनरक्षियों की संख्या इस प्रस्ताव में निर्धारित आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप तथा करते हुए अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न की जा रही है।

- पर्यवेक्षीय स्तरों में कमी लाने के उद्देश्य से वर्त्तमान व्यवस्था के तहत् एक स्तर का कम किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि इस प्रस्ताव में चिन्हित आधारभूत सिद्धांतों में वर्णित है, सभी प्रादेशिक अंचलों के स्तर पर ही मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कार्य का प्रस्ताव समर्पित किया जा रहा है। **राज्य में कुल 9 प्रादेशिक अंचल कार्यरत हैं जिनके प्रभार में वर्त्तमान में वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी कार्यरत हैं। इन पदों को उत्क्रमित कर मुख्य वन संरक्षक स्तर का घोषित करने का प्रस्ताव है।**

- समिति द्वारा आम सहमति व्यक्त की गई कि प्रत्येक प्रादेशिक वन प्रमंडलों द्वारा माइक्रोप्लान बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किए जाने के फलस्वरूप कार्य नियोजना अचंल के कार्यो में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। प्रत्येक माइक्रोप्लान पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई वन संरक्षक, कार्य नियोजना के स्तर से अपेक्षित होगी। माइक्रोप्लान में वन प्रबंधन वाले अंश को प्रमंडल के कार्य नियोजना के अनुरूप बनवाने का दायित्व भी वन संरक्षक, कार्य नियोजना का होगा। माइक्रोप्लान पर उचित अनुशंसा के साथ सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का दायित्त्व भी वन संरक्षक, कार्य नियोजना का होगा। अत: प्रादेशिक प्रमंडलों के साथ कार्य नियोजना अचंल का बेहतर समन्वय आवश्यक

होगा। इन परिस्थितियों में **सभी प्रादेशिक अंचल, जिसके प्रभारी मुख्य वन संरक्षक होंगे, के अधीन एक वन संरक्षक, कार्य नियोजना को कार्यरत रखना प्रस्तावित है।** इस प्रकार वन संरक्षक, कार्य नियोजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित प्रादेशिक अंचल के मुख्य वन संरक्षक होंगे। समिति का प्रस्ताव है कि कार्य नियोजना एवं माइक्रोप्लान बनाने के कार्यो में गति प्रदान करने कये उद्देश्य से कार्य नियोजना के चार वर्त्तमान स्थापनाओं को बढ़ाकर कुल 9 कार्य नियोजना अंचल गठित किए जाएँ। इसमें किसी नए पद के सृजन का प्रस्ताव नहीं है। पाँच अतिरिक्त कार्य नियोजना अचंल, पाँच कार्य विहीन अचंलों को पुर्नगठित कर बनाने का प्रस्ताव है।

- प्रादेशिक प्रभाग में कार्यरत सभी प्रादेशिक अंचलों में तथा प्रभावकारी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु **प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना, झारखंड** के पद के सृजन का प्रस्ताव है। उक्त पद क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची के पद को उत्क्रमित कर सृजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना के अधीन उनके कार्यालय में ही एक मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी कार्यरत होंगे जिनका पदनाम **मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना (मुख्यालय)** होगा। उक्त पद वर्त्तमान में कार्यरत मुख्य वन संरक्षक, जे0 एफ0 एम0 एवं अनुश्रवण को relocate कर प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रादेशिक प्रभाग में प्रस्तावित पदों का संपरिवर्त्तन/उत्क्रमण/पदनाम परिवर्तन/स्थापना बल की तालिकाबद्ध विवरणी प्रस्तव के साथ अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न की जा रही है।

सामाजिक वानिकी प्रभाग

- वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास का दायित्त्व प्रादेशिक प्रमंडलों के जिम्में हैं । वनों से संबंधित सभी भू-अभिलेख प्रादेशिक प्रमंडलों के पास रहते हैं । वनों में होने वाले अपराध की पहचान करना, कानून के अंतर्गत विधिवत कार्रवाई करना, वन समिति के सक्रिय सहयोग से वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन करने का कार्य भी प्रादेशिक प्रमंडलों द्वारा किया जाता हैं । विभिन्न योजनान्तर्गत वनरोपण एवं विकास के कार्य भी इन प्रमंडलों द्वारा किये जाते हैं ।
- कालान्तर में वन नीति के अनुरुप राज्य में वृह्त वनरोपण की योजनाएँ अपनाई गई और महती योजनाओं के सफल कार्यान्वियन के लिए वर्ष 1956 में वनरोपण प्रमंडलों का सृजन हुआ । पुनः प्रसार वानिकी के कार्यो को ध्यान में रख कर वर्ष 1979 में सामाजिक वानिकी के कुछ प्रमंडलों का प्रयोगिक तौर पर सृजन किया गया । प्रसार वानिकी के उत्साहजनक परिणाम को देखते हुए वर्ष 1984 में वन विभाग अंतर्गत सामाजिक वानिकी की महत्त्वकांक्षी योजना का शुभारंभ दक्षिणी बिहार (वर्त्तमान झारखंड) के सभी जिलों में आरम्भ किया गया । सामाजिक वानिकी प्रमंडलों का सृजन हुआ और इन प्रमंडलों को बेकार पड़ी रैयती भूमि पर वनरोपण, सड़क, नहर, रेलमार्ग के किनारे पट्टी में वनरोपण (Strip plantation), संस्थानों की भूमि पर वनरोपण एवं संयुक्त वन प्रबंधन के सिद्धांत पर अवकृष्ट वनों को पुनर्वास करने के कार्य सौपें गये । रैयती भूमि पर वनरोपण योजना के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। सामाजिक वानिकी की इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में संस्थानों की भूमि पर और किसानों की भूमि पर वर्ष 1985 से 1990 के बीच वनरोपण किये गये और इससे इन क्षेत्रों में हरित पट्टी का विकास संभव हुआ और किसानों और संस्थानों की भूमि पर एक बड़ी सम्पत्ति का सृजन हुआ । संयुक्त वन प्रबंधन के सिद्धांत पर किये गये अवकृष्ट वनों के पुनर्वास कार्यक्रम से आम जनता और वन विभाग के बीच परस्पर सहयोग की भावना का विकास हुआ एवं विभाग अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन के सिद्धांत की आधारशिला तैयार हो सकी ।

- उक्त सामाजिक वानिकी परियोजना Swedish International Development Agency (SIDA) के वित्तीय सहयोग से चलाया गया । परंतु वाह्य वित्तीय सहयोग बन्द होने के उपरांत सामाजिक वानिकी के कार्य बन्द हो गये और बाद के वर्षो में इन प्रमंडलों के माध्यम से विभिन्न योजनांतर्गत वन भूमि पर वनरोपण के कार्य करवाये जाने लगे । वर्त्तमान में झारखंड राज्य अंतर्गत छः वनरोपण प्रमंडल हैं यथा (1) राँची वनरोपण प्रमंडल, (2) पलामू वनरोपण प्रमंडल, (3) सिंहभूम वनरोपण प्रमंडल,

(4) हजारीबाग वनरोपण प्रमंडल, (5) चतरा वनरोपण प्रमंडल एवं (6) गिरीडीह वनरोपण प्रमंडल । उक्त छः प्रमंडल ओवरलैपिंग प्रकृत्ति के प्रमंडल हैं ।

- सामाजिक वानिकी के निम्न दस प्रमंडल ओवरलैपिंग प्रकृत्ति के है यथा – (1) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची, (2) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा, (3) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार, (4) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा, (5) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, (6) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा, (7) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग, (8) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा, (9) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर एवं (10) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका। वर्त्तमान में झारखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप संख्या 2288 दिनांक 09/05/2007 द्वारा पदों के ओवरलैपिंग प्रकृत्ति को समाप्त करने का निर्देश प्राप्त हुआ हैं ।

- समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत वन भूमि के बाहर के क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं अन्य विकास कार्यो को चलाने के लिए एक सामाजिक वानिकी प्रभाग के सृजन की आवश्यकता महसूस की गई । इस प्रभाग के लिए कोई नये पद के सृजन की जरुरत नहीं होगी । पुनगर्ठित कार्यालय की स्थापना में मूल कार्यालय की स्थापना समायोजित की जायेगी । फिल्ड स्टाफ के पुनर्वितरण का एक खाका तैयार किया गया हैं जिसे आगे यथास्थान उल्लेख किया जा रहा हैं । सामाजिक वानिकी कार्यो को वृहत स्तर पर आरम्भ करने की कल्पना की जा रही है और इस राज्य में पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाते हुए ज्यादा लोकोपयोगी योजना को मूर्त्तरुप देने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता हैं । इस निर्णय से वन क्षंत्र से बाहर हरित पट्टी का विकास संभव होगा और बेकार पड़ी जमीन जो लाभकारी कृषि या अन्य प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं हैं, उनका सार्थक उपयोग हो सकेगा ।
- सामाजिक वानिकी कार्यो के निष्पादन हेतु समिति की अनुशंसा होगी कि **राज्य के सभी जिलों में वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी पदस्थापित किये जायें जिनका पदनाम ''निदेशक, सामाजिक वानिकी'' हो** ताकि पदनाम के अनुरूप ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन आदि के बीच उनके पदों के दायित्त्व की पहचान हो सके।
- सामाजिक वानिकी निदेशालयों द्वारा निम्न दायित्त्वों का निर्वहन किया जायेगा :-
  - (i) सरकारी गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण,
  - (ii) कृषि वानिकी अर्थात् इच्छुक किसानों की निजी भूमि पर व्यवसायिक वृक्षारोपण,

(iii) रैखिक वृक्षारोपण अर्थात् सड़क, नहर एवं रेल लाइन के किनारे पंक्तियों में वृक्षारोपण,

(iv) शहरी सुन्दरीकरण,

(v) संस्थानों की भूमि अर्थात् सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय परिसरों में वृक्षारोपण कार्य । एवं

(vi) वन क्षेत्र से बाहर NREGA संबंधी कार्य ।

- मुख्यालय स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड का पदनाम परिवर्त्तित करते हुए **प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, झारखंड** करने का प्रस्ताव है जो सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रमुख होंगे । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, झारखंड के अधीन सात मुख्य वन संरक्षक और 24 (चौबीस) निदेशक, सामाजिक वानिकी को कार्यरत् करने का प्रस्ताव हैं । वर्त्तमान में कार्यरत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी के रूप में पुर्ननामित करने का प्रस्ताव है।

- सात मुख्य वन संरक्षकों के लिये वन संरक्षक स्तर के सात पदों को मुख्य वन संरक्षक के रैक में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव हैं । इसमें से छः मुख्य वन संरक्षक झारखंड राज्य के विभिन्न मुख्यालयों में तैनात किये जायेंगे और एक मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी के कार्यालय कार्यो में सहयोग करेंगे जिनका पदनाम **मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी (मुख्यालय)** होगा ।

- सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रशासनिक ढाँचा में वन संरक्षक के स्थान पर मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी को कार्यरत् करने का प्रस्ताव हैं । आयुक्त स्तर पर और सरकार के स्तर से ज्यादा प्रभावी समन्वय स्थापित करने के उद्येश्य से ऐसा करना आवश्यक हैं । साथ ही नरेगा अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यो की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृत्ति संबंधी मामले का स्थानीय स्तर पर निष्पादन के लिए मुख्य वन संरक्षक स्तर के पद की आवश्यकता होगी जिससे कार्यो का त्वरित निष्पादन संभव हो सके ।

- निदेशक, सामाजिक वानिकी का कार्य क्षेत्र जिला की सीमा तक और वन क्षेत्र के बाहर सीमित होगा । सभी प्रमंडलों में सहायक वन संरक्षक का एक पद, क्षेत्र पदाधिकारी के 3 पद, वनपाल के 12 पद एवं वनरक्षी के 24 पद देते हुए

प्रमंडलों का ढाँचा तय करने का प्रस्ताव हैं । नरेगा संबंधी कार्यो को ध्यान में रखते हुए उक्त संरचना प्रस्तावित की जा रही है।

सामाजिक वानिकी प्रभाग में सभी जिला मुख्यालयों में कार्यरत निदेशक, सामाजिक वानिकी के अधीन निर्धारित वन क्षेत्र पदाधिकारियों, वनपालों तथा वनरक्षियों की संख्या तालिकाबद्ध रूप में **अनुलग्नक**–1 पर उपलब्ध है। साथ ही सभी पदों का संपरिवर्त्तन / उत्क्रमण / पदनाम परिवर्त्तन / स्थापना बल विवरणी **अनुलग्नक**–2 के रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन्य प्राणी प्रभाग

- वर्त्तमान में वन्य प्राणी प्रभाग अंतर्गत 1 (एक) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 1 (एक) मुख्य वन संरक्षक, 6 (छः) वन संरक्षक एवं 2 (दो) वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यरत् हैं । विभाग अंतर्गत वन्य प्रणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास का कार्य पूर्व में प्रादेशिक प्रमंडलों द्वारा किया जाता रहा । मात्र दालमा आश्रयणी को छोड़कर शेष सभी आश्रयणी प्रादेशिक प्रमंडलों के नियंत्रणाधीन थे । वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जो भी योजनायें चलाई जाती थी वे संबंधित प्रादेशिक प्रमंडलों द्वारा कार्यान्वित किये जाते रहे । बराबर यह महसूस किया जाता रहा कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास का कार्य विशेष प्रकृत्ति का हैं और इसके लिए अलग से वन प्रमंडल पदाधिकारी का पद होना चाहिए । सभी आश्रयणी का कार्यक्षेत्र वन्य प्राणी प्रमंडलों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाय ऐसा प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हो गया । प्रबंधन के इसी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बिना कार्य के पड़े राजकीय व्यापार प्रमंडल को समाप्त करते हुए वन्य प्राणी प्रमंडल, हजारीबाग का सृजन किया गया और इनके अधिकार क्षेत्र में कुल आठ आश्रयणी का कार्य क्षेत्र हस्तांतरित किया गया यथा (i) हजारीबाग आश्रयणी, (ii) लावालौंग आश्रयणी, (iii) कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयणी, (iv) गौतम बुद्धा आश्रयणी के झारखंड राज्य में पड़ने वाले क्षेत्र, (v) पारसनाथ आश्रयणी (vi) तोपचांची आश्रयणी, (vii) उधवा पक्षी आश्रयणी, (viii) डाल्फिन आश्रयणी एवं राजमहल फासिल पार्क ।

- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, हजारीबाग के अधिकार क्षेत्र में कुल 8 (आठ) आश्रयणी अवस्थित रहने के कारण प्रत्येक आश्रयणी के सुरक्षा कार्य, आश्रयणियों के लिए मैनेजमेंट प्लान का निर्माण, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम अंतर्गत Declaration एवं Right & Concession आदि से संबंधित कार्यो पर पर्याप्त ध्यान संभव नहीं हो पा रहा हैं । समिति द्वारा पाया गया कि जिन उद्येश्यों से आश्रयणियों के लिये वन्य प्राणी प्रमंडल का सृजन हुआ था उसकी पूर्त्ति आशा के अनुरुप नहीं हो पा रही हैं और इसका एक मात्र कारण है एक वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, हजारीबाग के अधीन आठ आश्रयणियों से संबंधित दायित्त्व का सौंपा जाना ।

- वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची के अधीन दालमा आश्रयणी का क्षेत्र भी हस्तांतरित हैं । पालकोट आश्रयणी, मूटा प्रजनन केन्द्र, बिरसा मृग विहार भी इसी प्रमंडल के नियंत्रणाधीन हैं ।

- स्वर्णरेखा परियोजना की स्वीकृत्ति हेतु भारत सरकार के स्तर पर गठित वरिवाया कमिटि एवं विशेषज्ञ समिति द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु जमशेदपुर में वन्य प्राणी प्रमंडल स्थापित करने की अनुशंसा की गई हैं।

- राज्य अंतर्गत गज आरक्ष, सिंहभूम के लिए एक वन संरक्षक के पद का सृजन सिंहभूम जिले में हाथियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के उद्येश्य से हुआ । गज आरक्ष के कार्यक्रम भारत सरकार की वित्तीय सहायता से प्रादेशिक प्रमंडलों के माध्यम चलाये जाते है और वन संरक्षक, गज आरक्ष इसका अनुश्रवण करते हैं । वन संरक्षक, गज आरक्ष के कार्य आवरलैपिंग प्रकृत्ति के हैं क्योंकि प्रादेशिक प्रमंडलों को प्रादेशिक अंचल और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों के माध्यम से राशि का आवंटन प्राप्त होता हैं और प्रादेशिक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों द्वारा भी गज आरक्ष के लिए आवंटित राशि विरुद्ध किये गये कार्यों का अनुश्रवण किया जाता हैं ।

- आश्रयणियों के प्रबंधन एवं आश्रयणियों के कार्यो में गुणात्मक सुधार के उद्येश्य से वर्त्तमान में कार्य विहीन स्थापनाओं को संपरिवर्त्तित कर तीन नये **वन्य प्राणी प्रमंडल (जमशेदपुर, कोडरमा तथा गिरिडीह)** सृजित करना प्रस्तावित है।

- टाईगर प्रोजेक्ट के **फिल्ड डायरेक्टर का पद जो वन संरक्षक के स्तर का है, उसे उत्क्रमित करते हुए मुख्य वन संरक्षक के पद स्तर में सम्परिवर्त्तित करने का प्रस्ताव हैं** । वर्त्तमान में फिल्ड डायरेक्टर, जो वन संरक्षक स्तर का है, के अधीन दो वन संरक्षक स्तर के ही पदाधिकारी यथा वन संरक्षक, कोर एरिया तथा वन संरक्षक, बफर एरिया कार्यरत है।

- समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि राज्य स्तर पर वन्यप्राणी की भिन्न स्थापनाओं से समन्वय स्थापित करने हेतु प्रधान मुख्य संरक्षक के कार्यालय में एक **मुख्य संरक्षक, वन्यप्राणी (मुख्यालय)** का पद सृजित किया जाय। वर्त्तमान में वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, रॉची को उत्क्रमित कर यह पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव हैं । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन दो मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी तथा जैव विविधता संरक्षण होंगे। **मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण, रॉची** का पद वर्तमान पद के रुप में पुनर्गठित किया जाना प्रस्तावित हैं, जिनके अधीन वन संरक्षक-सह-निदेशक, जैविक उद्यान, रॉची, वन प्रमंडल पदाधिकरी, वन्यप्राणी प्रमंडल, रॉची तथा वन प्रमंडल पदाधिकरी, वन्यप्राणी, जमशेदपुर कार्यरत होंगे। वर्त्तमान में कार्यरत वन संरक्षक, गज परियोजना को उत्क्रमित कर **मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण, हजारीबाग** प्रस्तावित हैं जिनके अधीन

वन प्रमंडल पदाधिकरी, वन्य प्राणी, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा कार्यरत होंगे ।

- वन्य प्राणी प्रमंडलों के निम्न दायित्त्व होंगे :-

(i) आश्रयणी क्षेत्र से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव,

(ii) विभिन्न संबंधित अधिनियमों, नियमावली, सरकारी परिपत्रों एवं वन नीति आदि के अनुरुप वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास,

(iii) पंचायत के अस्तित्त्व में आने के उपरांत पंचायत के समन्वय में इको विकास समिति के सहयोग से वनों का संरक्षण एवं विकास,

(iv) नरेगा के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन,

(v) F.D.A. से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन,

(vi) सभी आश्रयणियों के Declararion, Rights एवं Concession एवं Notification के लिए वन्य प्राणी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई करना,

(vii) सभी आश्रयणियों के लिए Management Plan का निर्माण कर निकटवर्ती ग्रामों में Interface के कार्य, आश्रयणी क्षेत्र में वाटर होल का निर्माण, प्राकृतिक वाटर होल की सफाई, नदी नाला में चेक डैम का निर्माण कर जल संरक्षण एवं वन्य प्राणियों के लिए जल का प्रबंध, पुटुस-पार्थेनियम आदि को ग्रेजिंग क्षेत्र से हटाने एवं ग्रेजिंग क्षेत्र विकसित करने की योजना, साल्टलिक का प्रावधान, भेजिटेसन में सुधार के उपाय करना, हाथी के कोरिडोर का अनुश्रवण, निकटवर्ती गाँवों में पालतू मवेशियों का Vaccination एवं उपचार,

(viii) वैज्ञानिक पद्धति से वन्य प्राणियों का census एवं जिन प्रजातियों की संख्या में कमी हो रही है, उनके लिए आश्रयणी के निकटवर्ती क्षेत्र में Breeding Enclosure तैयार करने एवं उन प्रजातियों की संख्या में वृद्धि कर उसे आश्रयणी में पुनः मुक्त करना ।

- उक्त प्रस्ताव में किसी नये पद के सृजन का प्रस्ताव नहीं हैं । मुख्यतः पदों को सम्परिवर्त्तित करते हुए पुर्नस्थापित (relocate) करने के साथ एक वन संरक्षक के पद को उत्क्रमित करते हुए मुख्य वन संरक्षक के एक पद के गठन का प्रस्ताव दिया जा रहा हैं ।

वन्यप्राणी प्रभाग में पुर्नगठित सभी वन्यप्राणी प्रमंडलों के अधीन निर्धारित वन क्षेत्र पदाधिकारियों, वनपालों तथा वनरक्षियों की संख्या तालिकाबद्ध रूप में **अनुलग्नक-1** पर उपलब्ध है। साथ ही सभी पदों का संपरिवर्त्तन/उत्क्रमण/पदनाम परिवर्त्तन/स्थापना बल विवरणी **अनुलग्नक-2** के रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

उपर्युक्त वर्णित प्रस्ताव के अनुरूप वर्त्तमान में भिन्न स्तरों पर स्वीकृत बल तथा पुर्नगठन के अनुरूप प्रस्तावित बल निम्नवत तालिकाबद्ध की जा रही है :-

क्रम संख्या	पदस्तर	स्वीकृत बल	पुर्नगठन के अनुरूप प्रस्तावित बल
01	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	3	4
02	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	3	6
03	मुख्य वन संरक्षक	12	26
04	वन संरक्षक	35	17
05	वन प्रमंडल पदाधिकारी	65	65
06	सहायक वन संरक्षक	114	114
07	वन क्षेत्र पदाधिकारी	383	383
08	वनपाल	1062	1930
09	वनरक्षी	3883	3015
	कुल योग	**5560**	**5560**

इस तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि 868 वनरक्षी के पदों का उत्क्रमण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 1 मुख्य वन संरक्षक स्तर के पद को प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के पद में, 3 मुख्य वन संरक्षक स्तर के पद को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद में तथा 18 वन संरक्षक स्तर के पदों को मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदों में उत्क्रमण प्रस्तावित है।

प्रस्तावित उत्क्रमण से विभागीय दक्षता में वृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है क्योंकि भिन्न स्तरों पर पदोन्नति के मार्ग अवरूद्ध हो गए हैं। इस उत्क्रमण के प्रस्ताव पर सहमति की स्थिति में सरकार पर वित्तीय भार नहीं के बराबर पड़ेगा क्योंकि अवर वन सेवाओं में ए0सी0पी0 का प्रावधान लागू होने की स्थिति में सभी वनरक्षी वनपाल का वेतन तथा कई तो वन क्षेत्र पदाधिकारी का वेतन प्राप्त कर रह हैं। भारतीय वन सेवा संवर्ग में भी करीब-करीब यही स्थिति है।

सुलभ संकेत हेतु वर्त्तमान विभागीय संरचना का organogram अनुलग्नक-3 तथा प्रस्तावित विभागीय संरचना का organogram अनुलग्नक-4 के रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है।

(राजीव रंजन)
वन संरक्षक एवं राज्य वन–वृक्ष विज्ञानी
झारखंड, रांची

(एस0 के0 शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण
झारखंड, रांची

(ए0 के0 प्रभाकर)
मुख्य वन संरक्षक, विकास
जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना
झारखंड, रांची

(अरविन्द कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य नियोजना, शोध, जे0एफ0एम0 एवं अनुश्रवण, झारखंड, रांची

(सी0आर0सहाय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेषक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची

अनुलग्नक - 1

पुर्नगठित फिल्ड स्थापनाओं का प्रस्तावित बल

क्रम संख्या	जिला	प्रमंडल का नाम	वन क्षेत्र का रकबा	प्रखण्डो की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें वन क्षेत्र निहित है।	प्रस्तावित क्षेत्रीय स्थापना की संरचना			कार्यक्षेत्र / प्रखण्डों का नाम
						व०क्षे०पदा०	वनपाल	वनरक्षी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हजारीबाग	हजारीबाग उत्तरी वन प्रमंण्डल	870.14	6	410	8	41	70	बरही,पदमा(आंशिक) चौपारण, बरकटा, इचाक, आंशिक कटकमसॉडी
2	हजारीबाग	हजारीबाग दक्षिणी वन प्रमंडल	911.96	5	393	8	40	61	केरेडारी, बड़कावा, बिशनुगढ़, चुरचु, हजारीबॉग,
3	रामगढ़	रामगढ़ वन प्रमंडल	396.11	4	251	5	25	38	रामगढ़, पतरातू, गोला, मॉडू
4	कोडरमा	कोडरमा वन प्रमंडल	737.45	5	363	6	36	55	सतगॉंवा, कोडरमा, मारकचचो, जयनगर, चॅंदवारा
5	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	969.62	5 (Rajpur Proposed	582	8	58	85	राजपुर (चतरा), प्रतापपुर, हंटरगंज, कुन्दा, ईटखोरी
6	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	1010.63	6	434	8	43	66	चतरा (सदर), सिमरिया, टंडवा, लावालौंग, गिदौर, पथरगंढ़ा
7	धनबाद	धनबाद वन प्रमंडल	188.59	8	411	6	30	46	धनबाद, झरिया, बलयापुर, गोविन्दपुर, बाघमारा, तोपचॉची, निरसा, टुण्डी
8	बोकारो	बोकारो वन प्रमंडल	648.35	8	424	7	42	64	चास, चन्दनकियारी, नावाडीह, बेरमो, गोमिया, पेटरवार, कसमार, जरीडीह
9	गिरिडिह	गिरिडिह उत्तरी वन प्रमंडल	738.18	6	785	8	52	80	गॉवा, तिसरी, देवरी, राजधनवार, जमुआ, बेगाबाद,
10	गिरिडीह	गिरिडिह दक्षिणी वन प्रमंडल	605.02	6	765	8	51	78	गांडे, गिरिडिह, बिरनी बगोदर, डुमरी, पीरटांड
11	मेदिनीनगर	मेदिनीनगर वन प्रमंडल	1609.99	12	793	12	79	115	हरिहरगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर, पटना, मनातू, पांकी, लेस्लीगंज, डाल्टनगंज, सतबरवा, पांडू, चैनपरु, विश्रामपुर
12	लातेहार	लातेहार वन प्रमंडल	1225.70	7	480	10	48	74	बरवाडी, मनिका, बालूमाथ, चंदवा, लातेहार, गारु, महुआडाड़
13	गढ़वा	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	795.85	7	362	7	36	55	खरौंधी, भवनाथपुर, काण्डी, नगर उंटारी, मझियांव, रमना, धुंरकी
14	गढ़वा	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	832.10	7	208	7	35	54	डंडई, मेराल, गढवा, चिनिया, रंका, रामकण्डा, भण्डरिया
15	दुमका	दुमका वन प्रमण्डल	304.04	10	683	7	46	65	सरैयाहाटा, जरमुण्डी, जामा, रामगढ़, गोपीकान्दर, काठीकुण्ड, दुमका, शिकारीपाड़ा, रानेश्वर, मसलिया
16	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमण्डल	82.42	4	264	4	18	28	कुण्डहैत, नाका, जामताड़ा, नारायणपुर
17	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल	167.93	8	323	3	22	34	महरामा, महगामा, बोआरीजोर, पत्थगामा, गोड्डा, सुन्दरपहाड़ी, पोरैयाहाट, ठाकुरगंगरी

क्रम संख्या	जिला	प्रमंडल का नाम	वन क्षेत्र का रकबा	प्रखण्डों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें वन क्षेत्र निहित है	प्रस्तावित क्षेत्रीय स्थापना की संरचना			कार्यक्षेत्र / प्रखण्डों का नाम
						व०क्षे०पदा०	वनपाल	वनरक्षी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल	131.47	9	212	4	14	21	तालझरी, राजमहल, बरहरवा, पाठना, बरहैत, मान्ड्रो, उधवा, साहेबगंज, बोरियो
19	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल	147.16	6	212	3	14	21	लिट्टीपाड़ा, आमरापाड़ा, हिरनपुर, पाकुड़, महेशपुर, पाकुड़िया
20	देवघर	देवघर वन प्रमण्डल	242.26	8	641	6	43	65	देवघर, मोहनपुर, सारवाँ, देवीपुर, पोलोजोरी, मधुपुर, सारठ, करौं
21	चाईबासा	सारण्डा वन प्रमण्डल	858.82		52 कम्पार्टमेण्ट	6	26	40	वर्त्तमान व्यवस्था को यथावत् रखा गया है।
22	चाईबासा	कोल्हान वन प्रमण्डल	701.79		138	6	28	43	वर्त्तमान व्यवस्था को यथावत् रखा गया है।
23	चाईबासा	पोराहाट वन प्रमण्डल	748.06		407	6	41	63	वर्त्तमान व्यवस्था को यथावत् रखा गया है।
24	चाईबासा	चाईबासा वन प्रमण्डल	520.78		401	6	40	61	वर्त्तमान व्यवस्था को यथावत् रखा गया है।
25	चाईबासा	धालभूम वन प्रमण्डल	899.33	9	932	10	62	95	जुगसलाई, पटमदा, पोटका, डुमरिया, मुसाबनी, घाटशिला, धालभूमगढ़, चकुलिया, बहरागोड़ा
26	सरायकेला	सरायकेला वन प्रमण्डल	517.06	8	515	6	43	66	गोविन्दपुर, आदित्यपुर, सरायकेला, खरसाँवां, कुचई, इचागढ़, चाण्डिल, नीमडीह
27	खूँटी	खूँटी वन प्रमंडल	493.52	9	583	6	58	89	रनिया, मुरहु, तोरपा, कर्रा, खुँटी, अड़की, बुण्डु, सोनाहातू, तमाड़
28	राँची	राँची वन प्रमंडल	713.00	9	560	9	56	92	काँके, रातू, चान्हो, मांडर, लापुग, बुड़मु, बेड़ो, नामकुम, ओरमाँझी,
29	गुमला	गुमला वन प्रमंडल	1159.42	9	547	9	55	84	चैनपुर, डुमरी, रायडीह, गुमला, सिसई, भरनो, कामडारा, बसिया,
30	सिमडेगा	सिमडेगा वन प्रमंडल	567.83	7	366	7	37	57	बानो, जलडेगा, ठेठईटांगर, कुरडेगा, बोलवा, सिमडेगा, कोलेबिरा
31	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमंडल	397.57	5	150	4	19	30	किस्को, कुडु, लोहरदगा, भंडरा, सेन्हा
32	हजारीबाग	हजारीबाग वन्य प्राणी प्रमण्डल	393.00	-	-	4	39	60	हजारीबाग तथा लावालौंग आश्रयणी
33	गिरिडीह	गिरीडीह वन्य प्राणी प्रमण्डल	63.25	-	-	3	6	10	पारसनाथ, तोपचाँची तथा उधवा आश्रयणी
34	कोडरमा	कोडरमा वन्य प्राणी प्रमंडल	256.00	-	-	4	25	40	कोडरमा तथा गौतमबुद्धा आश्रयणी
35	राँची	राँची वन्य प्राणी प्रमण्डल	183.18	-	-	5	23	40	पालकोट आश्रयणी, बिरसा मृग बिहार, मुटा मगरमच्छ प्रजनन केन्द्र, भवन प्रक्षे
36	जमशेदपुर	जमशेदपुर वन्य प्राणी प्रमण्डल	193.22	-	-	3	19	30	डालमा आश्राणी
37		वन संर्रक्षक, कोर क्षेत्र	576.00	-	-	7	57	90	व्याघ्र परियोजना
38		वन संरक्षक, बफर क्षेत्र	730.00	-	-	8	73	115	व्याघ्र परियोजना

क्रम संख्या	जिला	प्रमंडल का नाम	वन क्षेत्र का रकबा	प्रखण्डों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें वन क्षेत्र निहित है।	प्रस्तावित क्षेत्रीय स्थापना की संरचना			कार्यक्षेत्र / प्रखण्डों का नाम
						व०क्षे०पदा०	वनपाल	वनरक्षी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39		वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची-I				3	6	6	
40		वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, राँची-II				3	6	6	
41		वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, हजारीबॉग				4	8	8	
42		वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, बोकारो				4	8	8	
43		वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, देवघर				3	6	6	
44		वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, दुमका				3	6	6	
45		वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, पलामू				4	8	8	
46		वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, चाईबासा				4	8	8	
47		वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, जमशेदपुर				3	6	6	
48		वन संरक्षक, एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी				6	18	18	
49		वन संरक्षक, वृक्षारोपण शोध एवं मूल्यांकन				5	15	15	
50		वन संरक्षक, वन साधन सर्वेक्षण				4	12	12	
51		वन संरक्षक, प्रशिक्षण				3	6	2	वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग/हजारीबाग/चाईबासा

क्रम संख्या	जिला	प्रमंडल का नाम	वन क्षेत्र का रकबा	प्रखण्डों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें वन क्षेत्र निहित है।	प्रस्तावित क्षेत्रीय स्थापना की संरचना			कार्यक्षेत्र / प्रखण्डों का नाम
						व०क्षे०पदा०	वनपाल	वनरक्षी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52		वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार				1	2	1	
53		वन संरक्षक-सह-निदेशक, भगवान बिरसा जैविक उद्यान				2	2	4	
54		निदेशक, समाजिक वानिकी, हजारीबाग				3	12	24	
55		निदेशक, समाजिक वानिकी, रामगढ़				3	12	24	
56		निदेशक, समाजिक वानिकी, कोडरमा				3	12	24	
57		निदेशक, समाजिक वानिकी, चतरा				3	12	24	
58		निदेशक, समाजिक वानिकी, धनबाद				3	12	24	
59		निदेशक, समाजिक वानिकी, बोकारो				3	12	24	
60		निदेशक, समाजिक वानिकी, गिरिडिह				3	12	24	
61		निदेशक, समाजिक वानिकी, मेदिनीनगर				3	12	24	
62		निदेशक, समाजिक वानिकी, लातेहार				3	12	24	
63		निदेशक, समाजिक वानिकी, गढ़वा				3	12	24	
64		निदेशक, समाजिक वानिकी, दुमका				3	12	24	

क्रम संख्या	जिला	प्रमंडल का नाम	वन क्षेत्र का रकबा	प्रखण्डों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें वन क्षेत्र निहित है।	प्रस्तावित क्षेत्रीय स्थापना की संरचना			कार्यक्षेत्र / प्रखण्डों का नाम
						व०क्षे०पदा०	वनपाल	वनरक्षी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65		निदेशक, समाजिक वानिकी, जामताड़ा				3	12	24	
66		निदेशक, समाजिक वानिकी, गोड्डा				3	12	24	
67		निदेशक, समाजिक वानिकी, साहेबगंज				3	12	24	
68		निदेशक, समाजिक वानिकी, पाकुड़				3	12	24	
69		निदेशक, समाजिक वानिकी, देवघर				3	12	24	
70		निदेशक, समाजिक वानिकी, चाईबासा				3	12	24	
71		निदेशक, समाजिक वानिकी, सरायकेला				3	12	24	
72		निदेशक, समाजिक वानिकी, खूँटी				3	12	24	
73		निदेशक, समाजिक वानिकी, राँची				3	12	24	
74		निदेशक, समाजिक वानिकी, गुमला				3	12	24	
75		निदेशक, समाजिक वानिकी, सिमडेगा				3	12	24	
76		निदेशक, समाजिक वानिकी, लोहरदगा				3	12	24	
77		निदेशक, समाजिक वानिकी, जमशेदपुर				3	12	24	

क्रम संख्या	जिला	प्रमंडल का नाम	वन क्षेत्र का रकबा	प्रखण्डों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें वन क्षेत्र निहित है।	प्रस्तावित क्षेत्रीय स्थापना की संरचना			कार्यक्षेत्र / प्रखण्डों का नाम
						व०क्षे०पदा०	वनपाल	वनरक्षी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		निदेशक, लैंड बैंक प्रबंधन, हजारीबाग				3	9	9	
79		निदेशक, लैंड बैंक प्रबंधन, दुमका				3	9	9	
80		निदेशक, लैंड बैंक प्रबंधन, पलामू				3	9	9	
81		लैंड बैंक प्रबंधन, रॉची				3	9	9	
82		लौंड बैंक प्रबंधन जमशेदपुर				3	9	9	
	कुल योग					383	1930	3015	

सारांश

पदनाम	स्वीकृत बल	प्रस्तावित बल
वन क्षेत्र पदाधिकारी	383	383
वनपाल	1062	1930
वनरक्षी	3883	3015

स्थापना/प्रमण्डल का नाम	प्रस्तावित बल की संरचना		
	वन क्षेत्र पदाधिकारी	वनपाल	वनरक्षी
वन संरक्षक, कार्य नियोजना (9 स्थापना)	36	108	
वन संरक्षक, एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी	6	18	18
वन संरक्षक, वृक्षारोपण शोध एवं मूल्यांकन	4	12	12
वन संरक्षंक, साधन सर्वेक्षण	4	12	
निदेशक सामाजिक वानिकी	88	264	792
लैड बैंक विकास	15	45	
निदेशक वन्य प्राणी आश्रायणी (5 स्थापना)	20	100	200
	173	**559**	**1022**

पदों के संपरिवर्त्तन/उत्क्रमण/पदनाम परिवर्त्तन तथा निर्धारित दायित्वों का विवरण

क्र0 सं0	वर्त्तमान स्थापना एवं कार्य			प्रस्तावित कार्यालय स्थापना एवं कार्य			
	वर्त्तमान स्थापना	पद स्तर	कार्य	प्रस्तावित स्थापना	पद स्तर	प्रस्तावित कार्यालय स्थापना/स0 व0सं0	कार्य की विवरणी
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	संकल्प संख्या 1877 दिनांक 16/03/2005 के अनुरुप	यथावत इनके कार्यालय में इनके नियंत्रणाधीन निम्न पद कार्यरत् रहेंगे :- (1) मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (2) मुख्य वन संरक्षक, बजट एवं ऑडिट (3) मुख्य वन संरक्षक, विधि कोषांग	यथावत	यथावत सहायक वन संरक्षक 4	विभागीय प्रधान
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	नोडल आफिसर एफ0सी0 एक्ट एवं एफ0डी0 ए0	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, झारखंड, राँची	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका का कार्यालय स्थापना स0व0सं0–1	सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रमुख
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैवविविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखंड,राँची	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक संबंधी कार्य	यथावत	यथावत	यथावत + मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं जैव विविधता का कार्यालय स्थापना स0व0सं0–1	वन्यप्राणी प्रभाग के प्रमुख

4	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रांची	मुख्य वन संरक्षक	रांची रीजन के विभागाध्यक्ष	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना। इनके कार्यालय में निम्न पद कार्यरत रहेंगे :- मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना (समन्वय)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	प्रादेशिक प्रभाग के प्रमुख
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास, झारखण्ड, रांची	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	योजना का सूत्रीकरण	यथावत। इनके कार्यालय में इनके नियंत्राधीन निम्न पद कार्यरत रहेंगे :- (1) मुख्य वन संरक्षक, विकास, अन्य क्षेत्र, झारखंड, रांची (2) मुख्य वन संरक्षक, विकास, जनजातीय क्षेत्र, झारखंड, रांची	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	यथावत
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, शोध, जे0एफ0एम0 एवं अनुश्रवण, झारखण्ड, रॉची	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	कार्य नियोजना, शोध, जे0एफ0 एम0 एवं अनुश्रवण	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट्स	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	नोडल पदाधिकारी, एफ0डी0ए0, जे0एफ0एम0 का सुदृढ़ीकरण इत्यादि
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांची	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास संबंधी कार्य	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफ0 सी0 एक्ट	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	नोडल पदाधिकारी, एफ0सी0 एक्ट
8	मुख्य वन संरक्षक, सह परियोजना निदेशक, विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना झारखण्ड, रॉची	मुख्य वन संरक्षक	वर्त्तमान में कोई कार्य नहीं	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक, जे0एफ0एम0 एवं अनुश्रवण का कार्यालय स्थापना स0व0सं0-1	CAMPA निधि का प्रबंधन एवं अनुश्रवण

9	मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना एवं शोध	मुख्य वन संरक्षक	कार्य नियोजना, अनुसंधान, जे0एफ0 एम0 एवं अनुश्रवण	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शोध एवं प्रसार इनके नियंत्रणाधीन निम्न कार्यालय होंगे :- (i) वन संरक्षक, सह राज्य वन वृक्ष विज्ञानी (ii) वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल (iii) वन संरक्षक, प्रशिक्षण (iv) वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार (v) वन संरक्षक, साधन सर्वेक्षण एवं एम0आई0एस0	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	शोध, प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण, वन साधन का सर्वेक्षण तथा एम0 आई0एस0
10	मुख्य वन संरक्षक सह समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, रांची	मुख्य वन संरक्षक	विश्व खाद्य कार्यक्रम बन्द होने के कारण कार्य विहीन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लैण्ड बैंक प्रबंधन, झारखण्ड, इनके नियंत्रणाधीन कुल पाँच प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :- 1. निदेशक, लैण्ड बैंक प्रबंधन, राँची. 2 निदेशक, लैण्ड बैंक प्रबंधन, पलामू 3 निदेशक, लैण्ड बैंक प्रबंधन, चाईबासा. 4 निदेशक लैण्ड बैंक प्रबंधन, हजारीबाग. 5. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लैण्ड बैंक, दुमका.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	लैण्ड बैंक का सृजन एवं प्रबंधन
11	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका	मुख्य वन संरक्षक	दुमका रीजन के विभागाध्यक्ष	मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी (मुख्यालय) (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी को कार्यालय कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यरत करने का प्रस्ताव है)	यथावत		प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी के स्टाफ ऑफिसर

12	मुख्य वन संरक्षक, जे0एफ0एम0 एवं अनुश्रवण	मुख्य वन संरक्षक	राँची रिजीयन के विभागाध्यक्ष	मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना (मुख्यालय), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना, झारखंड	यथावत	-	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना के स्टाफ ऑफिसर
13	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू	मुख्य वन संरक्षक	पलामू रिजीयन के विभागाध्यक्ष	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड	यथावत	-	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना के स्टाफ ऑफिसर
14	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग	मुख्य वन संरक्षक	हजारीबाग रिजीयन के विभागाध्यक्ष	मुख्य वन संरक्षक, विधि कोषांग, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड	यथावत	-	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना के स्टाफ ऑफिसर- भिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों का अनुश्रवण
15	वन संरक्षक, मुख्यालय	मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय कार्य	मुख्य वन संरक्षक, बजट एवं अंकेक्षण, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड	मुख्य वन संरक्षक	-	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंधन एवं कार्य नियोजना के स्टाफ ऑफिसर - बजट एवं ऑडिट पाराओं का निष्पादन
16	मुख्य वन संरक्षक, विकास, जनजातीय क्षेत्र, झारखंड, राँची	मुख्य वन संरक्षक	योजना का सूत्रीकरण	यथावत	यथावत	वन संरक्षक, योजना अंचल का कार्यालय स्थापना	राज्य योजना (जनजातीय क्षेत्र) का सूत्रीकरण
17	मुख्य वन संरक्षक, विकास, अन्य क्षेत्र, झारखंड, राँची	मुख्य वन संरक्षक	योजना का सूत्रीकरण	यथावत	यथावत	वन प्रमंडल पदाधिकारी, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग, राँची का कार्यालय स्थापना स0व0सं0-1	राज्य योजना (जनजातीय क्षेत्र) का सूत्रीकरण

18	वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, पलामू	वन संरक्षक	वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, पलामू। इनके कार्यक्षेत्र मे निम्न आश्रयणी रहेंगे (i) वन संरक्षक, कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, डाल्टनगंज (ii) वन संरक्षक, बफर एरिया, व्याघ्र परियोजना, डाल्टनगंज	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	प्रस्ताव में वर्णित
19	मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं जैव विविधता, झारखंड, राँची	मुख्य वन संरक्षक	राज्य स्तर का जैव विविधता संरक्षण कार्य	मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण, राँची इनके नियंत्रणाधीन निम्न कार्यक्षेत्र रहेगा :- (i) वन संरक्षक एवं निदेशक, भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, राँची (ii) वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी, राँची (iii) वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी, जमशेदपुर	यथावत	वन्य प्राणी अंचल, रांची का कार्यालय स्थापना स0व0सं0-1	- वही -
20	वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, राँची	वन संरक्षक	टाईगर प्रोजेक्ट एरिया को छोड़ कर राज्य स्तर पर आश्रयणियों के वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी (मुख्यालय)	मुख्य वन संरक्षक	-	- वही -

21	वन संरक्षक, हाथी परियोजना, जमशेदपुर	वन संरक्षक	हाथी परियोजना के कार्यो का अनुश्रवण। ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का कार्य	मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण, हजारीबाग । इनके नियंत्रणाधीन निम्न कार्य क्षेत्र रहेगा :- (i) वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी हजारीबाग (ii) वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी गिरीडीह (iii) वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी कोडरमा	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
22	वन संरक्षक, प्रादेशिाक अंचल, रांची	वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, रांची-I इनके नियंत्रणधीन निम्न अंचल एवं प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :- वन संरक्षक, कार्य नियोजना, राँची- I/ वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची वन प्रमंडल, लोहरदगा वन प्रमंडल एवं गुमला वन प्रमंडल	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
23	वन संरक्षक, राजकीय व्यापार अंचल, रांची	वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, रांची-II इनके नियंत्रणधीन निम्न अंचल एवं प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :- वन संरक्षक, कार्य नियोजना, राँची-II / वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल एवं सिमडेगा वन प्रमंडल	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -

24	वन संरक्षक, पशिचमी अंचल, मेदिनीनगर	वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, पलामू । इनके नियंत्रणाधीन निम्न अंचल एवं प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :- वन संरक्षक, कार्य नियोजना, मेदिनीनगर/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, लातेहार वन प्रमंडल, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल एवं गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
25	वन संरक्षक, दक्षिणी अंचल, चाईबासा	वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, चाईबासा । इनके नियंत्रणाधीन निम्न अंचल एवं प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :- वन संरक्षक, कार्य नियोजना, चाईबासा/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा वन प्रमंडल, कोल्हान वन प्रमंडल, पोड़ाहाट वन प्रमंडल एवं चाईबासा वन प्रमंडल	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
26	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर	मुख्य वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर। इनके नियंत्रणाधीन निम्न अंचल एवं प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :- वन संरक्षक, कार्य नियोजना, जमशेदपुर/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम वन प्रमंडल एवं सराईकेला वन प्रमंडल	यथावत	वन संरक्षक राजकीय व्यापार अंचल, जमशेदपुर की स्थापना स0व0सं0-1	- वही -

27	वन संरक्षक, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग	वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग। इनके नियंत्रणाधीन निम्न अंचल एवं प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :- वन संरक्षक, कार्य नियोजना, हजारीबाग/ वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग उत्तरी वन प्रमंडल, हजारीबाग दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल एवं कोडरमा वन प्रमंडल	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
28	वन संरक्षक, बोकारो अंचल, बोकारो	वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, बोकारो । इनके नियंत्रणाधीन निम्न अंचल एवं प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :- वन संरक्षक, कार्य नियोजना, बोकारो/ वन प्रमंडल पदा0 रामगढ़ वन प्रमंडल,, बोकारो वन प्रमंडल, एवं धनबाद वन प्रमंडल,	मुख्य वन संरक्षक	यथावत	- वही -
29	वन संरक्षक, दुमका अंचल, दुमका	वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, दुमका। इनके नियंत्रणाधीन निम्न अंचल एवं प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :-वन संरक्षक, कार्य नियोजना, दुमका/ वन प्रमंडल पदा0 दुमका वन प्रमंडल, गोड्डा वन प्रमंडल, पाकुड़ वन प्रमंडल एवं साहेबगंज वन प्रमंडल	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -

30	वन संरक्षक, देवघर अंचल, देवघर	वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	मुख्य वन संरक्षक, देवघर। इनके नियंत्रणाधीन निम्न अंचल एवं प्रमंडल कार्यरत रहेंगे :- वन संरक्षक, कार्य नियोजना, देवघर/ वन प्र0 पदा0 देवघर वन प्रमंडल, जाममाड़ा वन प्रमंडल, गिरीडीह उत्तरी वन प्रमंडल एवं गिरीडीह दक्षिणी वन प्रमंडल	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
31	वन संरक्षक, वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, राँची	वन संरक्षक	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, राँची कार्यः- राँची, खूँटी सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा स्थित, सामाजिक वानिकी प्रमंडलों के नियंत्री पदाधिकारी के रुप में कार्यरत् रहेंगे ।	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
32	वन संरक्षक, वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, पलामू	वन संरक्षक	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	मुख्य वन संरक्षक, समाजिक वानिकी पलामू कार्यः- गढ़वा, मेदिनीनगर एवं लातेहार स्थित सामाजिक वानिकी प्रमंडलों के नियंत्री पदाधिकारी के रुप में कार्यरत् रहेंगे	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
33	वन संरक्षक, वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, जमशेदपुर	वन संरक्षक	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, जमशेदपुर कार्यः- जमशेदपुर, सरायकेला खरसावाँ तथा चाईबासा स्थित सामाजिक वानिकी, प्रमंडलों के नियंत्री पदाधिकारी के रुप में कार्यरत् रहेंगे ।	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -

34	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	वन संरक्षक	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य	मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, बोकारो कार्यः- बोकारो, धनबाद एवं गिरीडीह स्थित सामाजिक वानिकी प्रमंडलों के नियंत्री पदाधिकारी के रुप में कार्यरत् रहेंगे ।	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
35	वन संरक्षक, वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, हजारीबाग	वन संरक्षक	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी हजारीबाग कार्यः- हजारीबाग, कोडरमा, चतरा एवं रामगढ़ स्थित सामाजिक वानिकी प्रमंडलों के नियंत्री पदाधिकारी के रुप में कार्यरत् रहेंगे ।	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
36	वन संरक्षक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, राँची	वन संरक्षक	प्रशिक्षण कार्य	मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, देवघर कार्यः- देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ एवं जामताड़ा स्थित सामाजिक वानिकी प्रमंडलों के नियंत्री पदाधिकारी के रुप में कार्यरत् रहेंगे ।	मुख्य वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
37	वन संरक्षक, राजकीय व्यापार अंचल, जमशेदपुर	वन संरक्षक,	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, जमशेदपुर	वन संरक्षक,	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर का कार्यात्य स्थापना स0व0सं0-1	- वही -
38	वन संरक्षक, शोध अंचल, राँची	वन संरक्षक	शोध	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, राँची- II	वन संरक्षक,	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
39	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, डाल्टनगंज	वन संरक्षक,	कार्य नियोजना का निर्माण	वन संरक्षक, कार्य नियोजना मेदिनीनगर	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
40	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, चाईबासा	वन संरक्षक	कार्य नियोजना का निर्माण	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -

41	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, हजारीबाग	वन संरक्षक	कार्य नियोजना का निर्माण	यथाव	वन संरक्षक,	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
42	वन संरक्षक, राजकीय व्यापार अंचल, पलामू	वन संरक्षक	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, बोकारो	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
43	वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई सहभागी वन प्रबंधन परियोजना	वन संरक्षक	वर्त्तमान मे कोई कार्य नहीं	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, दुमका	यथावत	प्रास्थगन में रखे गये पद से कार्यालय स्थापना की संरचना स0व0सं0-1	- वही -
44	वन संरक्षक, परियोजना समन्वय इकाई, झारखंड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना	वन संरक्षक,	वर्त्तमान में कोई कार्य नहीं	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, देवघर	वन संरक्षक,	प्रास्थगन में रखे गये पद से कार्यालय स्थापना की संरचना स0व0सं0-1	- वही -
45	वन संरक्षक, सह राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, राँची	वन संरक्षक	शोध कार्य	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
46	वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, झारखंड, राँची	वन संरक्षक	शोध कार्य	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
47	वन संरक्षक सह निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय महिलौंग	वन संरक्षक	प्रशिक्षण कार्य	वन संरक्षक, प्रशिक्षण, इनके नियंत्रणाधीन निम्न प्रशिक्षण विद्यालय होंगे :- (क) वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग (ख) वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग (ग) वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, चाईबासा	यथावत	यथावत प्रास्थगन पदों से दो प्रधान लिपिक, दो तृतीय वर्ग एवं चार चतुर्थ वर्गीय पद हजारीबाग एवं चाईबासा हेतु प्रस्तावित स0व0सं0-4 (महिलौंग-2, हजारीबाग-1, चाईबासा-1)	- वही -

48	वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची	वन संरक्षक	योजना का सूत्रीकरण	वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार	यथावत	वन प्रमंडल पदाधिकारी, (जनसम्पर्क) प्रचार एवं प्रसार का कार्यालय स्थापना स0व0सं0-1	- वही -
49	वन संरक्षक, वन साधन सर्वेक्षण अंचल,	वन संरक्षक	वन साधन सर्वेक्षण	वन संरक्षक, वन साधन सर्वेक्षण एवं एम.आई.एस., झारखंड, राँची	वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
50	वन संरक्षक एवं निदेशक, भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, राँची	वन संरक्षक	भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
51	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, राँची	वन संरक्षक	कार्य नियोजना का निर्माण	वन संरक्षक, कार्य नियोजना, राँची-1	वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
52	वन संरक्षक, कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, डाल्टनगंज	वन संरक्षक	वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास	यथावत	वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
53	वन संरक्षक, बफर एरिया, व्याघ्र परियोजना, डाल्टनगंज	वन संरक्षक	वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास	यथावत	वन संरक्षक	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
54	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रांची पूर्वी वन प्रमंडल	वन प्रमंडल पदा0	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रांची वन प्रमंडल, रांची	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
55	वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम वन प्रमंडल, जमशेदपुर	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
56	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रांची पशिचमी वन प्रमंडल, लोहरदगा	वन प्रमंडल पदा0	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
57	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला	वन प्रमंडल पदा0	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -

58	वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
59	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
60	वन प्रमंडल पदाधिकारी, डाल्टेनगंज उत्तरी वन प्रमंडल, डाल्टेनगंज	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	वन प्रमंडल पदाधिकारी	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
61	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
62	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
63	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्ष, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
64	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा वन प्रमंडल	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
65	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
66	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
67	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा दक्षिणी वन प्रमंडल	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
68	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला - खरसाँवा वन प्रमंडल, सराईकेला	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सराईकेला	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -

69	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पशिचमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग दक्षिणी वन प्रमंडल	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
70	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
71	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
72	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्ष, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
73	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग उत्तरी वन प्रमंडल, हजारीबाग	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
74	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
75	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
76	वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
77	वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
78	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –
79	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0–1	– वही –

80	वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्ष, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
81	वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
82	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	यथावत	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
83	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह वनरोपण प्रमंडल, गिरीडीह	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह उत्तरी वन प्रमंडल, गिरीडीह	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
84	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह वन प्रमंडल, गिरीडीह	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह दक्षिणी वन प्रमंडल	यथावत	यथावत स0व0सं0-1	- वही -
85	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य वन प्रमंडल, हजारीबाग	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वर्तमान में कोई कार्य नहीं	निदेशक लैण्ड बैंक प्रबंधन, हजारीबाग	वन प्रमण्डल पदाधिकारी	लैण्ड बैंक का सृजन	- वही -
86	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	वन प्रमंडल पदाधिकारी	भविष्य में कोई कार्य नहीं	निदेशक, लैण्ड बैंक, प्रबंधन, चाईबासा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी	लैण्ड बैंक का सृजन	- वही -
87	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, पलामू	वन प्रमंडल पदाधिकारी	वर्तमान में कोई कार्य नहीं	निदेशक, लैण्ड बैंक प्रबंधन पलामू	वन प्रमण्डल पदाधिकारी	लैण्ड बैंक का सृजन	- वही -
88	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका	वन प्रमंडल पदा0	भविष्य में कोई कार्य नहीं	निदेशक, लैण्ड बैंक प्रबंधन, दुमका	वन प्रमण्डल पदाधिकारी	लैण्ड बैंक का सृजन	— वही —
89	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, हजारीबाग	वन प्रमंडल पदा0	वर्तमान में कोई कार्य नहीं	निदेशक, लैण्ड बैंक प्रबंधन, राँची	वन प्रमण्डल पदाधिकारी	लैण्ड बैंक का सृजन	— वही —

90	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनरोपण प्रमंडल, राँची	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, खूँटी	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	– वही –
91	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, राँची	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	– वही –
92	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, सिमडेगा	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	– वही –
93	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, योजना एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, राँची	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	निदेशक, सामाजिक वानिकी, गुमला	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	– वही –
94	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी मुख्यालय, राँची	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यालय में संलग्न	निदेशक, सामाजिक वानिकी, लोहरदगा	वन प्रमंडल पदा0	प्रास्थगन में रखे गये कार्यालय स्थापना की संरचना + स0व0सं0 –1	— वही —
95	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, गढ़वा	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	– वही –
96	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पलामू वनरोपण प्रमंडल, मेदिनीनगर	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेदिनीनगर	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	– वही –

97	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, लातेहार	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
98	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, जमशेदपुर	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
99	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, चाईबासा	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
100	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिंहभूम वनरोपण प्रमंडल, चाईबासा	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरायकेला-खरसावाँ	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
101	वन प्रमंडल पदाधिकारी, निदेशन एवं प्रशासन, राँची	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संलग्न	निदेशक, सामाजिक वानिकी, बोकारो	वन प्रमंडल पद0	प्रास्थगन में रखे गये पद से कार्यालय स्थापा की संरचना + स0व0सं0 -1	— वही —
102	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जनजातीय कोषांग, राँची	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं जे0 एफ0एम0 के नियंत्रा- धीन कार्य	निदेशक, सामाजिक वानिकी, धनबाद	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
103	वन प्रमंडल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमंडल, गुमला	वन प्रमंडल पदा0	वर्त्तमान में कोई कार्य नहीं	निदेशक, सामाजिक वानिकी, गिरीडीह	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -

104	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, हजारीबाग	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
105	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, कोडरमा	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
106	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा वनरोपण प्रमंडल	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, चतरा	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
107	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग वनरोपण प्रमंडल	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, रामगढ़	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
108	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, देवघर	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
109	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	वनरोपण एवं संबद्ध कार्य ओवर लैपिंग प्रकृत्ति का	निदेशक, सामाजिक वानिकी, दुमका	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
110	वन प्रमंडल पदाधिकारी, (जन सम्पर्क) प्रचार एवं प्रसार प्रमंडल, राँची	वन प्रमंडल पदाधि-कारी	प्रचार एवं प्रसार	निदेशक, सामाजिक वानिकी, गोड्डा	वन प्रमंडल पदा0	मुख्य वन संरक्षक, विकास, जनजातीय क्षेत्र, झारखंड, राँची का कार्यालय स्थापना	— वही —

111	वन प्रमंडल पदाधिकारी, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग, राँची	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	योजना सूत्रण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	निदेशक, सामाजिक वानिकी, साहेबगंज	वन प्रमंडल पदा0	मुख्य वन संरक्षक, विकास, अन्य क्षेत्र, झारखंड, राँची का कार्यालय स्थापना	– वही –
112	वन प्रमंडल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमंडल, गुमला	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	वर्त्तमान में कोई कार्य नहीं है ।	निदेशक, सामाजिक वानिकी, पाकुड़	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	- वही -
113	वन प्रमंडल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमंडल, लातेहार–II	वन प्रमंडल पदाधि–कारी	वर्त्तमान में कोई कार्य नहीं है	निदेशक, सामाजिक वानिकी, जामताड़ा	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	- वही -
114	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची	वन प्रमंडल पदा0	दालमा, पालकोट सैक्च्युअरी तथा मूटा प्रजनन केन्द्र एवं बिरसा मृग विहार से संबंधित कार्य	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी, राँची दालमा सैक्च्युअरी को छोड़कर सभी नियंत्रणाधीन कार्य यथावत। अतः भविष्य में इनके नियंत्रणाधीन निम्न कार्य क्षेत्र रहेंगे (1)पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी (2) बिरसा मृग विहार (3) मगर प्रजनन केन्द्र, मूटा	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	- वही -
115	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा राजकीय व्यापार प्रमंडल, चाईबासा	वन प्रमंडल पदा0	वर्त्तमान में कोई कार्य नहीं है ।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी, जमशेदपुर इनके नियंत्रणाधीन दालमा वन्य प्राणी आश्रयणी का कार्यक्षेत्र रहेगा।	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 –1	- वही -

116	वन प्रमंडल वन्य प्राणी प्रमंडल, हजारीबाग	वन प्रमंडल पदा0	आठ आश्रयणी में वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी, हजारीबाग इनके नियंत्रणधीन निम्न कार्य क्षेत्र रहेगा :- (i) हजारीबाग एवं (ii) लावालौंग सैक्च्युअरी	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
117	वन प्रमंडल पदाधिकारी सह निदेशक वनरक्षी प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग	वन प्रमंडल पदा0	प्रशिक्षण कार्य	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी, कोडरमा । इनके अधीन निम्न कार्य क्षेत्र रहेगा :- (i) कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयणी, (ii) गौतम बुद्धा वन्य प्राणी आश्रयणी (झारखंड राज्य की सीमा मे पड़ने वाले क्षेत्र)	वन प्रमंडल पदाधिकारी	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -
118	वन प्रमंडल पदाधिकारी, राजकीय व्यापार प्रमंडल, चाईबासा-2	वन प्रमंडल पदा0	वर्त्तमान में कोई कार्य नहीं है ।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी, गिरीडीह । इनके कार्यक्षेत्र में निम्न आश्रयणी रहेंगे (i) पारसनाथ आश्रयणी (ii) तोपचांची आश्रयणी, (iii) उधवा आश्रयणी (iv) राजमहल फासिल पार्क (v) डाल्फिन आश्रयणी	वन प्रमंडल पदा0	यथावत स0व0सं0 -1	- वही -

कुल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-3 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-3 मुख्य वन संरक्षक-12 वन संरक्षक- 35 वन प्र0 पदा0-65			प्रधान मुख्य वन संरक्षक-4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-6 मुख्य वन संरक्षक-26 वन संरक्षक- 17 वन प्र0 पदा0-65		सहायक वन संरक्षक - 114	

अनुलग्नक –4

PROPOSED ORGANOGRAM OF FOREST DEPARTMENT

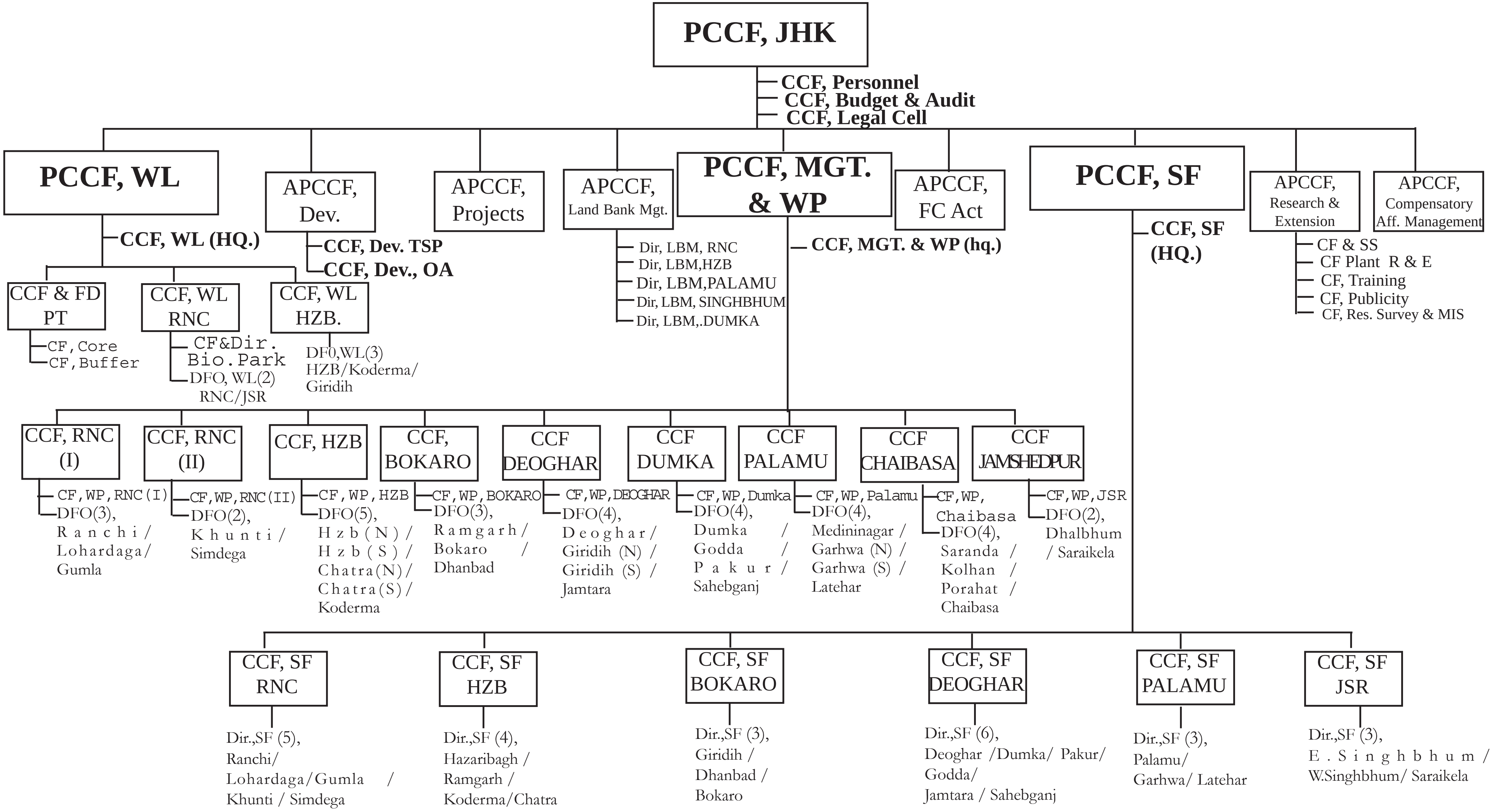

Abstract

PCCF - 4; APCCF - 6; CCF - 26; CF - 17; DFO - 65

PRESENT ORGANOGRAM OF FOREST DEPARTMENT

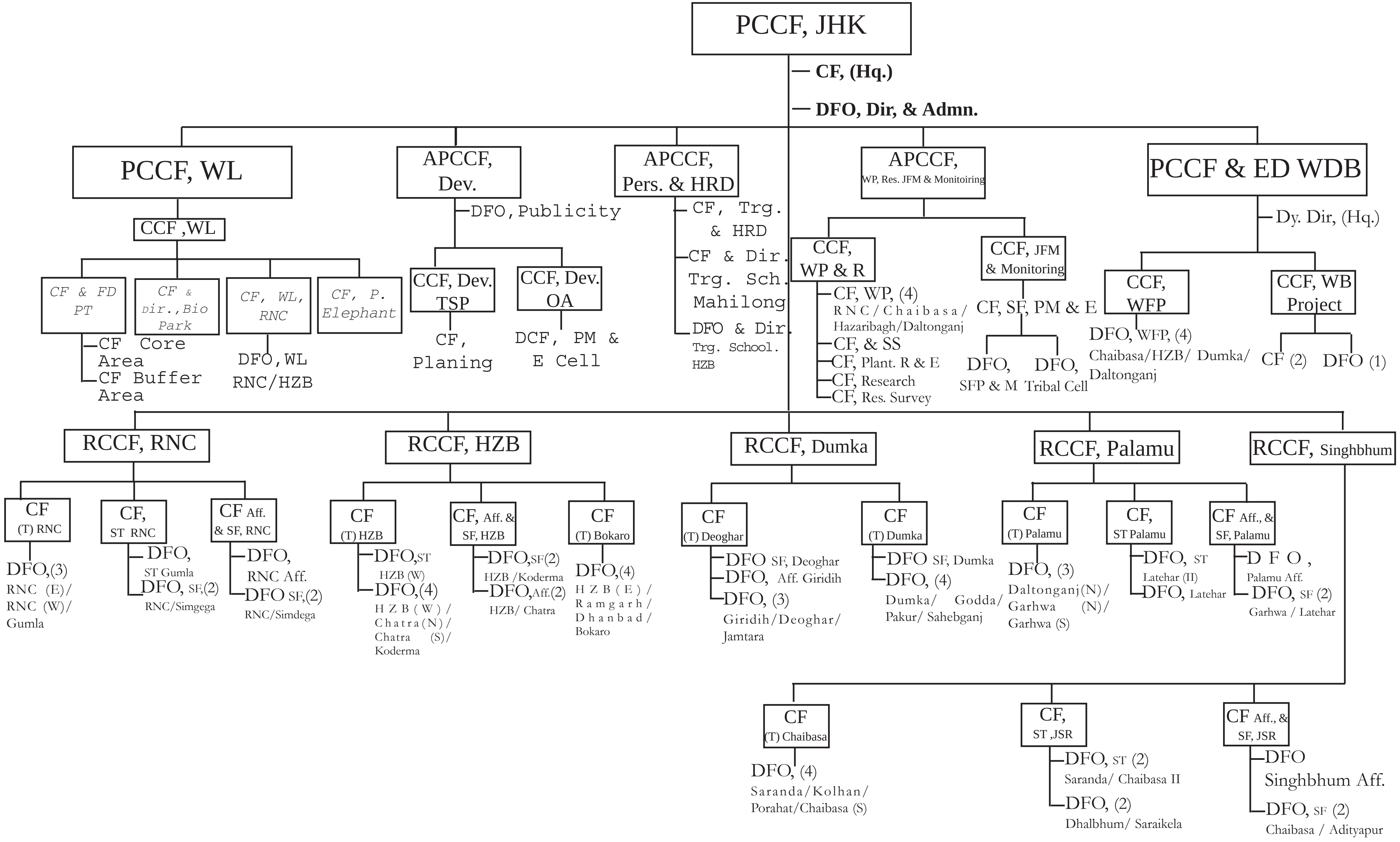

Abstract
PCCF - 3; APCCF - 3; CCF - 12; CF - 35; DFO - 65